मंथली पॉलिसी रिव्यू

मार्च 2021

इस अंक की झलकियां

संसद का बजट सत्र खत्म: सत्र के दौरान संसद में 11 बिल्स पारित (पेज 2)

11 बिल्स में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) बिल, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक बिल और बीमा (संशोधन) बिल पारित किए गए।

संसद ने केंद्रीय बजट और फाइनांस बिल, 2021 को पारित किया (पेज 2)

बिल कुछ वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाता है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास सेस शामिल करना, (ii) टैक्स आकलन को रीओपन करने का समय कम करना, और (iii) प्रॉविडेंट फंड्स से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स।

संसद में दूसरी अनुपूरक अनुदान मांग 2020-21 को पारित किया गया (पेज 3)

दूसरी अनुपूरक अनुदान मांगों में 2020-21 के बजट की तुलना में व्यय में 4,12,653 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित वृद्धि में पांच मंत्रालयों का हिस्सा 99% है। खाद्य एवं उर्वरक सबसिडी के व्यय में वृद्धि देखी गई है।

चरण 2 में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए पात्र (पेज 5)

पहले चरण में 60 वर्ष और विशिष्ट को-मॉरबिडिटी वाले 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग पात्र थे। 1 अप्रैल, 2021 से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग भी वैक्सीनेशन के लिए पात्र होंगे।

कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी (पेज 4)

दिशानिर्देशों के अंतर्गत: (i) कुल टेस्ट्स में आरटीपीसीआर टेस्ट्स का अनुपात बढ़ाया जाएगा, (ii) स्वास्थ्यकर्मियों का क्षमता निर्माण और संक्रमण की रोकथाम की पद्धतियां लागू की जाएंगी, और (iii) वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा।

2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान चालू खाता घाटा जीडीपी के 0.2% पर (पेज 6)

2020-21 की तीसरी तिमाही में चालू खाता संतुलन में 1.7 बिलियन USD का घाटा रिकॉर्ड किया गया (जीडीपी का 0.2%)। इसकी तुलना में 2019-20 की तीसरी तिमाही में 2.6 बिलियन USD का घाटा दर्ज किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने ऋण स्थगन के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज में छूट के आदेश दिए (पेज 9)

सरकार ने अक्टूबर 2020 में चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान पर उधारकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राहत सिर्फ उन उधारकर्ताओं को नहीं दी जानी चाहिए जोकि विशिष्ट शर्तों को पूरा करते हों।

असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) बिल, 2020 पर रिपोर्ट सौंपी गई (पेज 16)

कमिटी ने सुझाव दिया कि एआरटी बैंक्स की भूमिका स्पष्ट की जानी चाहिए। एआरटी सेवाओं के दौरान जमा किए जाने वाले पर्सनल डेटा को ऐसे प्रारूप में बदला जाना चाहिए जिनमें उस व्यक्ति की पहचान न की जा सके, जिसका डेटा है।

स्टैंडिंग कमिटीज़ ने विभिन्न योजनाओं और मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी (पेज 22)

स्टैंडिंग कमिटीज़ ने निम्नलिखित विषयों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी: (i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण, (ii) अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य, (iii) सतत विकास लक्ष्य, और (iv) रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण।

1 अप्रैल, 2021

PRS Legislative Research ■ Institute for Policy Research Studies
3rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ■ 212, Deen Dayal Upadhyaya Marg ■ New Delhi – 110002
Tel: (011) 43434035, 23234801 ■ www.prsindia.org

वाहन स्क्रैपिंग नीति जारी (पेज 25)

मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) उत्सर्जन और सुरक्षा जांच सहित स्क्रैपिंग के मानदंड, (ii) 15 वर्ष बाद कमर्शियल और सरकारी वाहनों को डीरजिस्टर करना, (iii) निजी वाहनों को 20 वर्ष बाद डीरजिस्टर करना।

राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी विकास रणनीति 2021-25 को जारी किया गया (पेज 32)

रणनीति का लक्ष्य भारत में बायोटेक्नोलॉजी उद्योग का आकार 2019 में 63 बिलियन USD से बढ़ाकर 2025 में 150 बिलियन USD करना है। रणनीति क्षेत्र में मुख्य उत्पादों और उपकरणों के लिए आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करना है।

ड्राफ्ट प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 पर टिप्पणियां आमंत्रित (पेज 31)

ड्राफ्ट नियम कुछ प्लास्टिक आइटम्स को प्रतिबंधित करने का प्रयास करते हैं (जैसे आइसक्रीम की डंडियां और प्लास्टिक की कटलरी)। प्लास्टिक के कैरी बैग्स की न्यूनतम मोटाई 50 माइक्रॉन्स से बढ़ाकर 120 माइक्रॉन्स कर दी जाएंगी।

संसद

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

बजट सत्र 2021 समाप्त

संसद का बजट सत्र 29 जनवरी, 2021 से 25 मार्च, 2021 तक चला।[1] सत्र दो भाग में आयोजित किया गया था और दोनों भागों के बीच 14 फरवरी से 7 मार्च, 2021 के बीच विराम था। इसे 8 अप्रैल, 2021 को समाप्त होना था लेकिन इसे आठ दिन पहले 25 मार्च, 2021 को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर दिया गया।[2] इस सत्र में केंद्रीय बजट, फाइनांस बिल, 2021 और दूसरी अनुपूरक अनुदान मांगों को पारित किया गया। 2021-22 के बजट में वर्ष के दौरान 34,83,236 करोड़ रुपए के कुल व्यय का प्रस्ताव है।[3] दूसरी अनुपूरक अनुदान मांगों में 2020-21 के बजट अनुमानों की तुलना में व्यय में 4,12,653 करोड़ रुपए की वृद्धि प्रस्तावित है।[4]

सत्र के दौरान 13 बिल पेश किए गए, जिनमें से तीन बिल्स अध्यादेशों का स्थान लेते हैं। 13 बिल्स में से आठ बिल्स को सत्र के दौरान पारित किया गया। ये हैं- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) बिल, 2021, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक बिल, 2021 और और बीमा (संशोधन) बिल, 2021। कुल मिलाकर संसद ने 11 बिल्स पारित किए (फाइनांस और विनियोग बिल्स को छोड़कर)।

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन बिल, 2021 और नैविगेशन के लिए मैरीन एड्स बिल, 2021 को लोकसभा में पारित किया गया और ये दोनों राज्यसभा में लंबित हैं।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान बिल, 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया और लोकसभा में लंबित है।

अन्य बिल्स जो पेश किए गए और लंबित हैं, उनमें राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) बिल, 2021 और भारतीय एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (संशोधन) बिल, 2021 शामिल हैं।

सत्र के दौरान लेजिसलेटिव एजेंडा पर अधिक विवरण के लिए कृपया देखें। सत्र के दौरान संसद के कामकाज पर अधिक विवरण के लिए कृपया देखें।

केंद्रीय बजट 2021-22

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

फाइनांस बिल, 2021 संसद में पारित

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने फाइनांस बिल, 2021 को पारित किया।[5] बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **आय कर पर छूट:** बिल में व्यक्तियों और निगमों के लिए आय कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

- **नए सेस:** बिल में कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास संबंधी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास सेस का प्रावधान है। सेस को कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं पर वसूला जाएगा जिनमें सोना, चांदी, एल्कोहलिक बेवरेज, कोयला, और कपास शामिल हैं, जिन पर सेस वसूलने के लिए बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में समान राशि की कटौती होगी। पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 2.5 रुपए और 4 रुपए प्रति लीटर की दर से सेस वसूला जाएगा है, और उनकी एक्साइज ड्यूटी में उतनी ही कटौती की गई है।
- **प्रॉविडेंट फंड्स के ब्याज पर कर:** इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अंतर्गत प्रॉविडेंट फंड्स से मिलने वाले ब्याज पर कर से छूट मिलती है। बिल में प्रावधान किया गया है कि अगर एक साल में फंड में कुल योगदान 2.5 लाख रुपए से अधिक होगा तो उसके ब्याज पर कर चुकाना होगा। अगर फंड में नियोक्ता का अंशदान न हो तो यह सीमा 5 लाख रुपए होगी।
- **आयकर प्रक्रिया की समयावधि कम की गई:** एक्ट के अंतर्गत आयकर आकलन के चार वर्ष तक के मामलों को फिर से खोला जा सकता है (छह वर्ष अगर गैर आकलन वाली आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक है)। बिल ऐसे मामलों को फिर से खोलने की समय सीमा तीन वर्ष करता है (दस वर्ष, अगर गैर आकलन वाली आय 50 लाख रुपए या उससे अधिक है)।

इसके अतिरिक्त फाइनांस बिल, 2021 में कुछ गैर कर प्रस्ताव भी शामिल थे जैसे एलआईसी एक्ट, 1956 और सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1956 में निम्नलिखित संशोधन:

- बिल एलआईसी एक्ट, 1956 में निम्नलिखित के लिए संशोधन करता है: (i) बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन, (ii) शेयर्स जारी करना, (iii) केंद्र सरकार को अपनी शेयरहोल्डिंग को अधिकतम 51% तक कम करने की अनुमति (पहले पांच वर्षों में 75% से कम नहीं), और (iv) केंद्र सरकार के अतिरिक्त बाकी के शेयरहोल्डर्स के वोटिंग के अधिकार को 5% तक सीमित करना।
- बिल सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1956 में संशोधन करता है ताकि पूल्ड इनवेस्टमेंट फंड्स की अनुमति दी जा सके, जोकि धन उधार लेने या डेट सिक्योरिटी जारी करने के लिए निवेशकों से धन जमा करती हैं। इसके लिए बिल बैंक और वित्तीय संस्थान में बकाया ऋण वसूली एक्ट, 1993 और सरफेसी एक्ट, 2002 में संशोधन करता है।

2020-21 के लिए दूसरी अनुपूरक अनुदान मांगों को संसद में पारित किया गया

2020-21 के लिए दूसरी अनुपूरक अनुदान मांगों को संसद में पारित किया गया।[6] दूसरी अनुपूरक अनुदान मांगों में 2020-21 के बजट की तुलना में 4,12,653 करोड़ रुपए के इनक्रेमेंटल कैश आउटगो यानी व्यय में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था। इससे पूर्व सितंबर 2020 में 1,66,984 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कैश आउटगो को मंजूरी देने के लिए पहली अनुपूरक डीएफजी को पारित किया गया था।[7] तालिका 1 में प्रदर्शित किया गया है कि मंत्रालयों ने दूसरी अनुपूरक डीएफजी 2020-21 के अंतर्गत उच्च कैश आउटगो के लिए प्रस्ताव रखा था। इन मंत्रालयों का प्रस्तावित कैश आउटगो 99% है।

तालिका 1: दूसरी अनुपूरक डीएफजी के अंतर्गत मुख्य मंत्रालयों का प्रस्तावित कैश आउटगो

मंत्रालय	प्रस्तावित कैश आउटगो (करोड़ रुपए में)	2020-21 के संशोधित अनुमान का प्रतिशत
कुल व्यय	4,12,653	12%
इनमें से:		
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	3,08,296	68%
रसायन एवं उर्वरक	65,552	48%
रक्षा	20,626	4%
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	10,000	10%
ग्रामीण विकास	3,458	2%

Sources: Second Supplementary Demands for Grants 2020-21, Ministry of Finance; Union Budget Documents; PRS.

प्रस्तावित व्यय की मदों को इनक्रेमेंटल कैश आउटगो के जरिए वित्त पोषित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **खाद्य सबसिडी**: खाद्य सबसिडी के भुगतान के लिए लगभग तीन लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसमें 2.66 लाख करोड़ रुपए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को दिए जाएंगे और शेष राशि राज्यों को जोकि एफसीआई के जरिए खरीद करेंगे। उल्लेखनीय है कि 2020-21 में एफसीआई को खाद्य सबसिडी के आबंटन में बजटीय चरण से संशोधित चरण में 341% की बढ़ोतरी की गई। बजटीय चरण में यह 0.78 लाख करोड़ रुपए था, जोकि संशोधित चरण में 3.44 करोड़ रुपए हो गया।[8] इसमें से 1.25 लाख करोड़ रुपए एफसीआई के पिछले वर्षों के बकाये को पूरा करने के लिए खर्च किया जाना अनुमानित है।[9] एफसीआई और राज्यों को शेष सबसिडी 2020-21 की सबसिडी के तौर पर चुकाई जाएगी।
- **उर्वरक सबसिडी**: उर्वरक सबसिडी के तौर पर 64,598 करोड़ रुपए के भुगतान को मंजूरी दी गई है। इसे पिछले वर्षों के बकायों खर्च किया जाना प्रस्तावित है जोकि अपर्याप्त बजटीय आबंटन के कारण चुकाई नहीं जा सकी थीं।[10]

कोविड-19

31 मार्च फरवरी, 2021 तक भारत में कोविड-19 के 1,20,39,644 पुष्ट मामले थे।[11] इनमें से 1,14,34,301 मरीजों का इलाज हो चुका है/उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है और 1,62,468 की मृत्यु हुई है।[11]31 मार्च, 2021 तक 6,30,54,353 लोगों को टीके (वैक्सीन) लग चुके हैं।[11] देश और विभिन्न राज्यों में दैनिक मामलों की संख्या के लिए कृपया यहां देखें।

केंद्र सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए अनेक नीतिगत फैसलों और इससे प्रभावित नागरिकों और व्यवसायों को मदद देने हेतु वित्तीय उपायों की घोषणा की है। केंद्र और राज्यों द्वारा जारी मुख्य अधिसूचनाओं के विवरण के लिए कृपया यहां देखें।

कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशिका हेतु दिशानिर्देश जारी

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

गृह मामलों के मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए जोकि 1 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे।[12,13] इससे पहले मंत्रालय ने जनवरी 2021 में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।[14] दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं: (i) स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के जरिए चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियों को खोलना, (ii) सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन लगाना, और (iii) काम करने की जगहों और सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 के प्रबंधन के लिए निर्देश।

संशोधित दिशानिर्देशों का ध्यान 'टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट' प्रोटोकॉल को लागू करने पर केंद्रित है जोकि पर्याप्त बचाव सुनिश्चित करता है और वैक्सीनेशन अभियान को सहयोग देता है।[12] इसकी मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **टेस्टिंग:** दिशानिर्देशों में निम्नलिखित निर्दिष्ट है: (i) कोविड-19 टेस्ट हर राज्य में एक बराबर किए जाने चाहिए, (ii) जिन जिलों में मामलों की अधिक बड़ी संख्या है, वहां पर्याप्त टेस्टिंग की जानी चाहिए, और (iii) कुल टेस्ट्स में आरटी-पीसीआर टेस्ट्स का अनुपात बढ़ाकर कम से कम 70% किया जाना चाहिए।
- **ट्रैकिंग और कंटेनमेंट**: दिशानिर्देशों में कहा गया है कि पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों को ट्रैक और आइसोलेट किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर जिला प्रशासनों को कंटेनमेंट जोन्स को चिन्हित करना चाहिए। कंटेनमेंट जोन्स में सिर्फ अनिवार्य गतिविधियों की अनुमति होगी जिसे स्थानीय प्रशासनों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
- **उपचार**: दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है कि निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाना चाहिए: (i) पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों को तुरंत आइसोलेट करना, (ii) सभी स्तरों पर स्वास्थ्यकर्मियों का क्षमता निर्माण, और (iii) सभी राज्यों में संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण।
- **वैक्सीनेशन**: दिशानिर्देशों में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में वैक्सीनेशन प्रबंधन की गति असमान है और राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे वैक्सीनेशन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के सुझावों के आधार पर वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाएं।

अप्रैल 2021 से 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का कोविड-19 वैक्सीनेशन

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

देशव्यापी कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान को 16 जनवरी, 2021 से शुरू किया गया था।[15] पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स (पुलिस, सिविल डिफेंस, अर्धसैन्य कर्मी, और नगर निगम के सरकारी कर्मचारी) को वैक्सीन लगाई गईं।

1 मार्च, 2021 से कोविड-19 वैक्सीन 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, और को-मॉरबिड स्थितियों वाले 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाई जाने लगीं।[15] अधिसूचित को-मॉरबिटीज़ में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) पिछले एक वर्ष में हार्ट फ्लेयोर के साथ अस्पताल में भर्ती, (ii) एसिड अटैक के कारण विकलांगता, जिसमें रेसपिरेटरी सिस्टम्स भी शामिल हों, हाई सपोर्ट की जरूरत वाले लोग या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और (iii) लिंफोमा या ल्यूकेमिया, इत्यादि।[16]

24 मार्च, 2021 से 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया।[17] वे लोग 1 अप्रैल, 2021 से वैक्सीन लगवाने के लिए पात्र होंगे।[17]

31 मार्च, 2021 तक 6.3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है।[11]

स्टैंडिंग कमिटी ने पीएसयूज़ पर कोविड-19 के असर पर अपनी रिपोर्ट सौंपी

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

मार्च 2021 में उद्योग संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: डॉ. के. केशवा राव) ने 'सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज़) पर कोविड-19 का प्रभाव और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत पीएसयूज़ की पहल' विषय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमिटी के मुख्य निष्कर्ष और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसईज़) पर आर्थिक असर**: कमिटी ने लॉकडाउन के कारण उत्पादन में गिरावट और सीपीएसईज़ के परिचालन में आई गंभीर रुकावटों पर गौर किया। सीपीएसईज़ केंद्र सरकार की स्वामित्व वाली कंपनियां होती हैं। उदाहरण के लिए 2019-20 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) की तुलना में

2020-21 की पहली छमाही में सीपीएसईज़ के प्राकृतिक गैस उत्पादन में 10% और स्टील एवं संबद्ध उत्पादों के उत्पादन में 21% की गिरावट हुई। कमिटी ने सुझाव दिया कि सीपीएसईज़ के प्रदर्शन पर लॉकडाउन के वास्तविक प्रभाव को समझने के लिए विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप सरकार को आर्थिक असर को कम करने के लिए जरूरी हस्तक्षेप करना चाहिए।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास

Saket Surya (saket@prsindia.org)

2020-21 की तीसरी तिमाही में चालू खाता घाटा जीडीपी के 0.2% पर

2020-21 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में भारत के चालू खाता संतुलन में 1.7 बिलियन USD (जीडीपी का 0.2%) का घाटा दर्ज किया गया।[18,19] 2019-20 की तीसरी तिमाही में 2.6 बिलियन USD का घाटा (जीडीपी का 0.4%) दर्ज किया गया था। इसकी तुलना में 2020-21 की दूसरी तिमाही में 15.1 बिलियन USD का अधिशेष दर्ज किया गया था (जीडीपी का 2.4%)।

2020-21 की दूसरी तिमाही से तीसरी तिमाही में चालू खाता संतुलन में गिरावट का मुख्य कारण कारण मर्केंडाइज व्यापार घाटे (निर्यात की तुलना में आयात का बढ़ना) में वृद्धि है। यह 2020-21 की दूसरी तिमाही में 14.8 बिलियन USD से तीसरी तिमाही में 34.5 बिलियन USD हो गया। 2020-21 की तीसरी तिमाही में मर्केंडाइज व्यापार घाटा, 2019-20 की तीसरी तिमाही के मर्केंडाइज व्यापार घाटे (36 बिलियन USD) से कम था।

2020-21 की तीसरी तिमाही में विदेशी मुद्रा भंडार 32.5 बिलियन USD बढ़ गया। यह 2019-20 की तीसरी तिमाही में दर्ज वृद्धि से अधिक है (21.6 बिलियन USD)। यह 2020-21 की दूसरी तिमाही में दर्ज 31.6 बिलियन USD की वृद्धि से भी ज्यादा है।

तालिका 2: 2020-21 की तीसरी तिमाही में भुगतान संतुलन (बिलियन USD)

	ति3 2019-20	ति2 2020-21	ति3 2020-21
चालू खाता	-2.6	15.1	-1.7
पूंजी खाता	23.6	16.1	33.5
भूल चूक लेनी देनी	0.6	0.4	0.7
मुद्रा भंडार में परिवर्तन	21.6	31.6	32.5

Sources: Reserve Bank of India; PRS.

गृह मामले

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) बिल, 2021 संसद में पारित

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) बिल, 2021 को संसद में पारित कर दिया गया। बिल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन एक्ट, 1991 में संशोधन करता है। एक्ट दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) की विधानसभा और शासन के कामकाज के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। बिल विधानसभा और लेफ्टिनेंट गवर्नर की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन करता है। उसकी मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **विधानसभा के पारित किए गए कानूनों पर प्रतिबंध**: बिल में प्रावधान है कि विधानसभा द्वारा बनाए किसी भी कानून में 'सरकार' शब्द का अर्थ लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) होगा।
- **विधानसभा की कार्य प्रक्रिया के नियम**: एक्ट विधानसभा को इस बात की अनुमति देता है कि वह विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन को रेगुलेट करने के लिए नियम बना सकती है। बिल में प्रावधान

किया गया है कि ये नियम लोकसभा की कार्य प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुरूप होने चाहिए।

- **प्रशासनिक निर्णयों की विधानसभा द्वारा जांच:** बिल कहता है कि (i) दिल्ली एनसीटी के रोजमर्रा के प्रशासन से संबंधित मामलों पर विचार करने और (ii) प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में किसी जांच के लिए विधानसभा न तो खुद को सशक्त करने का कोई नियम बना सकती है और न ही किसी कमिटी को नियम बनाने का अधिकार दे सकती है। इसके अतिरिक्त बिल में प्रावधान है कि इस कानून के लागू होने से पहले बनाए गए सभी नियम अमान्य होंगे।
- **बिल्स पर सम्मति**: एक्ट में एलजी से अपेक्षित है कि वह विधानसभा द्वारा पारित कुछ बिल्स को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर लेगा। जैसे (i) जो बिल्स दिल्ली उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करते हैं, (ii) जिन्हें राष्ट्रपति रिजर्व करने का निर्देश दें, (iii) विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों तथा मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित बिल्स, या (iv) विधानसभा या दिल्ली एनसीटी की आधिकारिक भाषा से संबंधित बिल। बिल में एलजी से अपेक्षित है कि वह उन बिल्स को भी राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करेगा जो विधानभा की शक्तियों के दायरे से बाहर आने वाले मामलों से संबंधित हों।
- **कार्यकारी कार्रवाई पर एलजी की राय**: एक्ट में निर्दिष्ट किया गया है कि सरकार के सभी कार्यकारी कार्य, चाहे मंत्रियों की सलाह से किए जाएं या अन्यथा, एलजी के नाम पर किए जाएंगे। बिल कहता है कि कुछ मामलों में, जैसा कि एलजी द्वारा निर्दिष्ट हो, मंत्रियों/मंत्रिपरिषद के फैसलों पर कार्यकारी कार्रवाई से पहले एलजी की राय ली जाएगी।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

भारतीय विदेशी नागरिकता के कार्डधारकों के अधिकारों में संशोधन

गृह मामलों के मंत्रालय ने नागरिकता एक्ट, 1955 के अंतर्गत भारतीय विदेशी नागरिकता (ओसीआई) कार्डधारकों के अधिकारों में संशोधन किया है।[20] नागरिकता एक्ट, 1955 नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण को रेगुलेट करता है और इसमें ओसीआईज़ के रजिस्ट्रेशन और उनके अधिकारों से संबंधित प्रावधान भी हैं।[21] संशोधित अधिकारों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **वीसा**: ओसीआई कार्डधारक वर्तमान में मल्टीपल इंट्री लाइफलॉन्ग वीज़ा के लिए अधिकृत होते हैं।[22] संशोधित अधिकारों में कहा गया है कि ओसीआईज़ निम्नलिखित के लिए संबंधित फॉरनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या भारतीय मिशन से विशेष परमिट्स हासिल करने होंगे: (i) अनुसंधान या पत्रकारीय गतिविधियां, (ii) भारत में फॉरेन डिप्लोमैटिक मिशंस या विदेशी सरकारी संगठनों में रोजगार या इंटर्नशिप, और (iii) संरक्षित, वर्जित या प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाना।[20]
- **रजिस्ट्रेशन से छूट**: वर्तमान में ओसीआईज़ को भारत में किसी भी अवधि के लिए रहने हेतु फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या फॉरनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती।[22] अधिकारों में संशोधन करते हुए कहा गया है कि ओसीआईज़, जो भारत में सामान्यतया रहते हैं, को ईमेल के जरिए ज्यूडिक्शनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को जानकारी देनी होगी, अगर उनके स्थायी आवासीय पते और व्यवसाय में बदलाव होता है।[20]
- **एनआरआईज़ से समानता**: वर्तमान में ओसीआईज़ और एनआरआईज़ के कुछ अधिकार एक समान हैं। जैसे उन्हें निम्नलिखित के संबंध में एक जैसे अधिकार हैं: (i) पेशा, जैसे मेडिसिन,

कानून, आर्किटेक्चर और चार्टर्ड एकाउंटेंसी, और (ii) भारतीय बच्चों का इंटर-कंट्री एडॉप्शन।[23,24] संशोधित अधिकार: (i) ओसीआईज़ के फार्म हाउस बेचने या खरीदने पर प्रतिबंध (यह पहले के प्रतिबंधों, जैसे कृषि भूमि और बागान इत्यादि बेचने और खरीदने पर रोक के अतिरिक्त है), और (ii) ओसीआईज़ को ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम जैसी परीक्षाएं देने की अनुमति (इसके अतिरिक्त वे ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट्स दे सकते हैं, जिसकी पहले से अनुमति है)।[20,23] हालांकि संशोधित अधिकारों में कहा गया है कि ओसीआईज़ भारतीय नागरिकों के लिए विशेष रूप से आरक्षित किसी सीट पर दाखिले पाने के पात्र नहीं होंगे।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर स्टैंडिंग कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी

गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: आनंद शर्मा) ने 'महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार और उनके खिलाफ अपराध' पर 15 मार्च, 2021 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।[25] कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **अपराधों को दर्ज करना**: कमिटी ने कहा कि अक्सर पुलिस स्टेशनों में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को दर्ज नहीं किया जाता। उसने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) पुलिस स्टेशनों में डिकॉय ऑपरेशंस करना, ताकि यह सुनिश्चित हो कि एफआईआर समय पर दर्ज की जाती है, (ii) एफआईआर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को विकसित करना, और उसे बढ़ावा देना, (iii) जीरो एफआईआर को दर्ज करना, और (iv) एफआईआर को दर्ज करने में होने वाली देरी के कारणों को रिकॉर्ड करना। कमिटी ने यह सुझाव भी दिया कि झूठे केस दर्ज करने वाले पुलिसकर्मियों और लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
- **दोष सिद्धि की दर:** कमिटी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में दोष सिद्धि की दर बहुत निम्न है। बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण एक्ट, 2012 के अंतर्गत मामलों के लिए 1,023 फास्ट ट्रैक अदालतों का लक्ष्य है लेकिन सिर्फ 597 अदालतों ऑपरेशनल हैं। कमिटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए (i) यौन अपराधों के लिए ऑनलाइन इनवेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करना ताकि पुलिस की जांच को ट्रैक किया जा सके, (ii) हर राज्य की राजधानी में कम से कम एक फॉरेंसिक लेबोरेट्री बनाना, (iii) एक निश्चित समयावधि में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाना, और (iv) सरकारी वकीलों के साथ कानून का प्रवर्तन करना।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

वित्त

एफडीआई सीमा को 74% करने के लिए संसद ने बीमा (संशोधन) बिल, 2021 को पारित किया

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

संसद ने बीमा (संशोधन) बिल, 2021 को पारित किया।[26] बिल बीमा एक्ट, 1938 में संशोधन करता है। यह एक्ट बीमा कारोबार के कामकाज के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है और बीमा कंपनी, उसके पॉलिसी धारकों, शेयर धारकों और रेगुलेटर (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के बीच संबंधों को रेगुलेट करता है।

एक्ट में यह प्रावधान है कि विदेशी निवेशक किसी भारतीय बीमा कंपनी में 49% तक का पूंजी निवेश कर सकते हैं। इस भारतीय कंपनी पर किसी भारतीय एंटिटी का स्वामित्व और नियंत्रण होना चाहिए। बिल निवेश की इस सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करता है और स्वामित्व और नियंत्रण के प्रतिबंध को हटाता है। हालांकि यह विदेशी निवेश केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त शर्तों के अधीन हो सकता है।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक बिल, 2021 को संसद में पारित किया गया

Saket Surya (saket@prsindia.org)

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण (फाइनांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर) और विकास बैंक बिल, 2021 को संसद में पारित कर दिया गया।[27] बिल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांसिंग के लिए मुख्य विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआईज़) के तौर पर राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक (एनबीएफआईडी) की स्थापना करने का प्रयास करता है। डीएफआईज़ की स्थापना अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान करने के लिए की जाती है जहां जोखिम वाणिज्यिक बैंकों और दूसरे सामान्य वित्तीय संस्थानों की स्वीकार्य सीमा से परे होता है। बैंकों से अलग डीएफआईज़ लोगों से डिपॉजिट नहीं लेते। वे बाजार, सरकार, बहुपक्षीय संस्थानों से धनराशि जुटाते हैं और सरकारी गारंटियों के जरिए समर्थित होते हैं। बिल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- **एनबीएफआईडी**: एनबीएफआईडी को कॉरपोरेट बॉडी के तौर पर गठित किया जाएगा जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी एक लाख करोड़ रुपए होगी। निम्नलिखित एनबीएफआईडी के शेयरधारक होंगे: (i) केंद्र सरकार, (ii) बहुपक्षीय संस्थाएं, (iii) सोवरिन वेल्थ फंड्स, (iv) पेंशन फंड्स, (v) बीमाकर्ता, (vi) वित्तीय संस्थान, (vii) बैंक और (viii) केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य संस्थान। शुरुआत में संस्थान के 100% शेयर्स पर केंद्र सरकार का स्वामित्व होगा जिसे बाद में कम करके अधिकतम 26% कर दिया जाएगा।
- **एनबीएफआईडी के कार्य**: एनबीएफआईडी के वित्तीय और विकासपरक उद्देश्य होंगे। वित्तीय उद्देश्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना, निवेश करना या भारत में पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स में निवेश को आकर्षित करना शामिल है। केंद्र सरकार निर्दिष्ट करेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में कौन से क्षेत्र आएंगे। विकासपरक उद्देश्य में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांसिंग के लिए बॉन्ड्स, ऋण और डेरेवेटिव्स के बाजार के विकास में मदद करना शामिल है।
- **अन्य डीएफआईज़**: बिल में यह प्रावधान भी है कि आरबीआई को आवेदन करके कोई भी व्यक्ति डीएफआई बना सकता है। आरबीआई केंद्र सरकार की सलाह से डीएफआई को लाइसेंस दे सकता है। आरबीआई इन डीएफआईज़ के लिए रेगुलेशंस निर्दिष्ट करेगा।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

सर्वोच्च न्यायालय ने ऋण स्थगत के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज से छूट का आदेश दिया

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

सर्वोच्च न्यायालय ने ऋण स्थगन (मोराटोरियम) की अवधि के दौरान ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज से छूट का आदेश दिया है।[28] मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आरबीआई ने ऋण देने वाली संस्थाओं को इस बात की अनुमति दी थी कि वे उधारकर्ताओं को सावधि ऋण पर देय सभी भुगतानों, जिसमें ब्याज भुगतान भी शामिल है, पर छह महीने (मार्च से अगस्त 2020) का स्थगन दे सकते हैं।[29,30] जिन उधारकर्ताओं ने मोराटोरियम और स्थगित ब्याज भुगतान का विकल्प चुना, उन्हें स्थगित ब्याज भुगतान पर ब्याज चुकाना था। उधारकर्ताओं को 'ब्याज पर ब्याज' के भुगतान से राहत देने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2020 में उनकी भरपाई के लिए दिशानिर्देश जारी किए जिसके बाद इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश आया है।[31,32] अक्टूबर 2020 के दिशानिर्देशों के अनुसार, उधारकर्ताओं को राहत मिलेगी, चाहे उन्होंने मोराटोरियम का विकल्प चुना है अथवा नहीं, अगर वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:

- उधारकर्ताओं की कुल बकाया राशि अधिकतम दो करोड़ रुपए हो (सभी ऋण और ऋण देने वाली संस्थाओं में), और

- ऋण निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी का हो (i) आवासीय ऋण, (ii) शिक्षा ऋण, (iii) कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, (iv) वाहन ऋण, (v) उपभोग ऋण, (vi) प्रोफेशनल्स को पर्सनल लोन्स, (vii) एमएसएमईज़ को ऋण (कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट सुविधा सहित), और (viii) क्रेडिट कार्ड का बकाया।

अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिर्फ कुछ शर्तों को पूरा करने वालों को राहत देने का कोई औचित्य नहीं है। उसने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज या 'ब्याज पर ब्याज' उधारकर्ताओं द्वारा जानबूझकर या स्वैच्छिक चूक करने पर प्रभार्य होना चाहिए और यह एक तरह का दंडात्मक ब्याज है। उसने यह भी कहा कि चूंकि स्थगन की अवधि के दौरान किश्त न चुकाना स्वैच्छिक नहीं कहा जा सकता, इसलिए इस अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज या दंड ब्याज लगाने का कोई औचित्य नहीं है। यह आदेश दिया गया कि किसी भी उधारकर्ता को इस तरह के दंड ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज के साथ प्रभारित नहीं किया जाना चाहिए, और यदि पहले से ही प्रभारित किया गया है, तो राशि वापस की जानी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित से संबंधित अन्य याचिकाओं को खारिज कर दिया: (i) स्थगन अवधि के दौरान ब्याज को पूरी तरह से खत्म करना, (ii) स्थगन की अवधि को बढ़ाना, (iii) नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के तौर पर वर्गीकरण पर स्टे, और (iv) अतिरिक्त राहत या क्षेत्र विशिष्ट पैकेज के लिए मांग।

बीमा ओबंड्समैन (लोकपाल) (संशोधन) नियम, 2021 अधिसूचित

Saket Surya (saket@prsindia.org)

वित्त मंत्रालय ने बीमा ओंबड्समैन नियम, 2017 में संशोधन के लिए बीमा ओंबड्समैन (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।[33] 2017 के नियम पर्सनल बीमा, ग्रुप बीमा और सोल प्रॉपराइटरशिप और सूक्ष्म उद्यमियों को जारी की गई पॉलिसीज़ से संबंधित विवादों की सुनवाई के लिए बीमा ओंबड्समैन की नियुक्ति का प्रावधान करते हैं।[34] मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **ओंबड्समैन की नियुक्ति के लिए अहर्ता**: 2017 के नियम निर्दिष्ट करते हैं कि ओंबड्समैन के पद के लिए ज्यूडीशियल सेवा, सिविल सेवा या प्रशासनिक सेवा के अनुभव वाले व्यक्ति पर विचार किया जाएगा। 2021 के नियमों में अहर्ता के मानदंडों में संशोधन किए गए हैं। व्यक्ति (i) ज्वाइंट सेक्रेटरी या अखिल भारतीय सेवा या सिविल सेवा के उसी के समान पद पर रहा हो, या (ii) बीमा क्षेत्र में कम से 25 वर्ष तक सेवारत रहा हो और उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कम से कम एक निचले पद पर काम किया हो। व्यक्ति इस पद के लिए तभी पात्र होगा, अगर उसकी आयु 55 से 65 वर्ष के बीच हो।
- **कार्यकाल**: 2017 के नियमों के अंतर्गत ओंबड्समैन को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति किया जाता था या जब तक कि उसकी आयु 70 वर्ष न हो जाए (इसमें जो पहले हो)। 2021 के नियमों ने इस आयु सीमा को 68 वर्ष कर दिया है। 2017 के नियमों में ओंबड्समैन की नियुक्ति फिर से करने की अनुमति थी। 2021 के नियम उसकी पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं।
- **शिकायत का तरीका और सुनवाई**: 2017 के नियम में यह कहा गया है कि शिकायत लिखित में दर्ज कराई जाएगी। 2021 के नियमों के अंतर्गत ऑनलाइन या ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। नए नियमों में ऑनलाइन आवेदन के लिए शिकायत प्रबंधन प्रणाली और शिकायतों की ट्रैकिंग का प्रावधान भी है। इसके अतिरिक्त ओंबड्समैन वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर सकता है।
- **ओंबड्समैन के लिए सिलेक्शन कमिटी**: 2017 के नियमों में ओंबड्समैन के चयन के लिए सिलेक्शन कमिटी का प्रावधान है।

2021 के नियम सिलेक्शन कमिटी के संयोजन में परिवर्तन करते हैं जैसा कि तालिका 3 में प्रदर्शित है।

तालिका 3: बीमा ओंबड्समैन की सिलेक्शन कमिटी का संयोजन

2017 के नियम	2021 के संशोधन नियम
अध्यक्ष	
आईआरडीएआई के अध्यक्ष	आईआरडीएआई के अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत आईआरडीएआई का कोई अन्य पूर्णकालिक सदस्य
सदस्य	
(i) लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल का एक प्रतिनिधि। (ii) जनरल इंश्योरेंस काउंसिल का एक प्रतिनिधि (iii) केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि	(i) बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के दो प्रतिनिधि: एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस का विशेषज्ञ हो (ii) बीमा क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण या उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने के ट्रैक रिकॉर्ड वाला एक व्यक्ति (iii) केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि

नोट: आईआरडीएआई- भारतीय बीमा रेगुलेटरी विकास अथॉरिटी, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो एक स्वायत्त निकाय है जिसे केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के पूर्णकालिक निदेशकों के चयन के लिए गठित किया है।

Sources: Insurance Ombudsman Rules, 2017; Insurance Ombudsman (Amendment) Rules, 2021; PRS.

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक सलाह के लिए ड्राफ्ट एनडीबी और एआईआईबी बिल्स को जारी किया

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक सलाह के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक (एआईआईबी) से संबंधित दो ड्राफ्ट बिल्स को जारी किया।[35] एनडीबी और एआईआईबी अंतरसरकारी समझौतों के अंतर्गत गठित बैंक हैं जो सतत आर्थिक विकास और अवसंरचना हेतु संसाधन जुटाते हैं। एनडीबी को 2014 में ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के अंतर्गत गठित किया गया था ताकि ब्रिक्स और अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का विकास किया जा सके। इसी तरह 2014 में एशिया में अवसंरचना विकास के लिए भारत सहित 57 देशों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के अंतर्गत एआईआईबी की स्थापना हुई थी। ड्राफ्ट बिल्स एनबीडी और एआईआईबी समझौतों के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुसार एनडीबी, एआईआईबी और उसके कर्मचारियों तथा परिचालनों को कुछ प्रिविलेज और इम्युनिटीज़ देने का प्रयास करते हैं। इन प्रिविलेज और इम्युनिटी में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **ज्यूडीशियल प्रक्रिया से इम्युनिटी**: बैंक हर प्रकार की कानूनी प्रक्रिया से इम्यून होगा, फंड्स जुटाने, गारंटी की शर्त या अंडरराइट सिक्योरिटी को खरीदने या बेचने की शक्तियों से संबंधित मामलों को छोड़कर। समझौतों, रेगुलेशंस या कॉन्ट्रैक्ट्स में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अतिरिक्त, कोई सदस्य देश या उसकी कोई एजेंसी किसी और प्रकार बैंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती।
- **कर्मचारियों को इम्युनिटी**: बैंक के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी आधिकारिक क्षमता में किए गए सभी कार्यों के संबंध में कानूनी प्रक्रिया से इम्यून होंगे, सिवाय जब बैंक उस इम्युटी में छूट दे दें।
- **एसेट्स को इम्युनिटी**: बैंक के एसेट्स और संपत्तियां किसी कार्यकारी या विधायी शक्तियों के अंतर्गत या इस संबंध में अंतिम फैसला आने से पहले तलाशी, जब्ती और कुर्की से इम्यून होंगे। उन्हें किसी प्रतिबंध, रेगुलेशंस, नियंत्रणों और स्थगन से भी छूट दी जाएगी।
- **कराधान से छूट**: बैंक, उनकी संपत्तियां, एसेट्स, आय, परिचालन और उनके समझौतों के लेनदेन को सभी प्रकार के कराधान से छूट होगी, सिवाय किसी कर या शुल्क का भुगतान करने, रोकने या जमा करने की कोई शर्त। यह नियम बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों पर भी लागू होगा, जब तक कि भारत द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में अन्यथा न लिखा हो।

मंत्रालय ने 4 अप्रैल, 2021 तक ड्राफ्ट बिल्स पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

एस्टिमेट्स कमिटी ने केंद्रीय बजट में हालिया सुधारों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

संसद की एस्टिमेट्स कमिटी (चेयर: गिरीश भालचंद्र बापट) ने 'सरकारी व्यय के बेहतर प्रबंधन के लिए हालिया बजटीय सुधार' विषय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[36] कमिटी ने केंद्र सरकार के कुछ बजटीय सुधारों और केंद्र एवं राज्य सरकारों की वित्तीय स्थितियों पर उसके प्रभाव पर विचार किया। इन सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) बजटीय चक्र को आगे बढ़ाना, और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करना, (ii) बजट में योजनागत व्यय और गैर योजना व्यय का विलय, और (iii) रेल बजट और केंद्रीय बजट का विलय। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **राज्यवार आबंटन**: कमिटी ने कहा कि यूनियन बजट एट अ ग्लांस नामक दस्तावेज में बजट की झलकियां होती हैं जिसमें मुख्य योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के आबंटन भी शामिल होते हैं। हालांकि इस दस्तावेज में राज्य सरकारों को आबंटित धनराशि का उल्लेख नहीं होता। कमिटी ने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की है, लोगों की रुचि यह जानने में होती है। ऐसा न होने पर आम आदमी को बजटीय आबंटन के बारे में यह स्पष्टता नहीं होती कि कितनी राशि राज्य सरकार से मिलने वाली है, और कितनी केंद्र सरकार से। कमिटी ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को केंद्रीय बजट दस्तावेजों में राज्यवार आबंटनों का विवरण शामिल करना चाहिए ताकि राज्यों को हस्तांतरित धनराशि में पारदर्शिता लाई जा सके।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

खनन

Saket Surya (saket@prsindia.org)

खान और खनिज (विकास और रेगुलेशन) संशोधन बिल, 2021 को संसद में पारित

खान और खनिज (विकास और रेगुलेशन) संशोधन बिल, 2021 को संसद में पारित कर दिया गया। यह बिल खान और खनिज (विकास और रेगुलेशन) एक्ट, 1957 में संशोधन करता है।[37] एक्ट भारत में खनन क्षेत्र को रेगुलेट करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **खनिजों के अंतिम उपयोग पर लगे प्रतिबंध को हटाना**: एक्ट केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह नीलामी प्रक्रिया के जरिए किसी खान (कोयला, लिग्नाइट और परमाणु खनिज को छोड़कर) को लीज़ पर देने के समय उसे किसी खास अंतिम उपयोग के लिए रिजर्व कर सकती है (जैसे लौह अयस्क की खान को स्टील प्लांट के लिए रिजर्व करना)। ऐसी खानों को कैप्टिव खानें कहा जाता है। बिल में प्रावधान किया गया है कि किसी भी खान को किसी खास अंतिम उपयोग के लिए रिजर्व नहीं किया जाएगा।
- **कैप्टिव खानों द्वारा खनिजों की बिक्री**: बिल में प्रावधान किया गया है कि कैप्टिव खानें (परमाणु खनिजों को छोड़कर) अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक उत्पादन का 50% हिस्सा खुले बाजार में बेच सकती हैं। केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए इस सीमा में वृद्धि कर सकती है। लीज़ी को खुले बाजार में बेचे गए खनिजों के लिए अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा।
- **कुछ मामलों में केंद्र सरकार द्वारा नीलामी**: एक्ट के अंतर्गत राज्य खनिज कनसेशंस (कोयला, लिग्नाइट और परमाणु खनिज को छोड़कर) की नीलामी कर सकते हैं। खनिज

कनसेशंस में खनन लीज़ और प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस कम खनन लीज़ शामिल होते हैं। बिल केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह राज्य सरकार की सलाह से नीलामी प्रक्रिया के पूरे होने की एक समय अवधि निर्दिष्ट करे। अगर राज्य सरकार उस अवधि में नीलामी प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाती तो केंद्र सरकार यह नीलामी कर सकती है।

- **वैधानिक मंजूरियों का हस्तांतरण**: खनन लीज़ (कोयला, लिग्नाइट और परमाणु खनिज को छोड़कर) के खत्म होने के बाद नीलामी के जरिए नए लोगों को खानों की लीज़ दी जाती है। नए लीज़ी को यह लीज़ दो वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है। इन दो वर्षों के दौरान नए लीज़ी को नई मंजूरियां हासिल करनी होती हैं। बिल इस प्रावधान को हटाता है और उसके स्थान पर यह प्रावधान करता है कि हस्तांतरित मंजूरियां नए लीज़ी की पूरी लीज़ अवधि के दौरान वैध रहेंगी।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

कोयला संरक्षण और कोयला परिवहन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी

कोयला एवं स्टील संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: राकेश सिंह) ने 'देश में कोयला संरक्षण और कोयला परिवहन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास' विषय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[38] कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कोयले का परिवहन**: कमिटी ने कहा कि देश में 66% कोयले का परिवहन सड़क मार्ग से होता है। उसने कहा कि सड़कों के जरिए कोयले के परिवहन से धूल और वायु प्रदूषण होता है। कमिटी ने सुझाव दिया कि कोयले को सड़कों से लाने-ले जाने की पद्धति को धीरे-धीरे खत्म किया जाना चाहिए। उसने यह सुझाव भी दिया कि कोल इंडिया लिमिटेड को रेल या कवर्ड कनवेयर बेल्ट्स के जरिए पिट हैड्स से डिस्पैच प्वाइंट्स तक कोयले के परिवहन के लिए पूरी तरह से मकैनाइज्ड प्रणाली का इस्तेमाल करना चाहिए।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

लीज्ड आउट लौह अयस्क खदान और ऑप्टिमम कैपिसिटी यूटिलाइजेशन के विकास पर स्टैंडिंग कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी

कोयला एवं स्टील संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: राकेश सिंह) ने 'लीज्ड आउट लौह अयस्क खदान और ऑप्टिमम कैपिसिटी यूटिलाइजेशन का विकास' विषय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[39] कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **सेल की लौह अयस्क खदानों के अनुमोदनों और मंजूरियों में विलंब**: कमिटी ने कहा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) की कई लौह अयस्क खदानें पर्यावरणीय मंजूरियों और वन मंजूरियों की प्रतीक्षा कर रही हैं। ये मंजूरियां केंद्रीय मंत्रालय या संबंधित राज्य सरकारों के पास लंबित हैं। यह गौर किया गया कि मंजूरियों में विलंब से सेल का क्षमता विस्तार प्रभावित हुआ है।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

खनिज उत्पादन को जल्द शुरू करने हेतु खनिज नीलामी नियमों में संशोधन

खान मंत्रालय ने खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2021 अधिसूचित किए।[40,41] 2015 के नियम खानों की नीलामी को रेगुलेट करते हैं। 2021 के संशोधनों का लक्ष्य नीलाम खानों में उत्पादन को जल्द शुरू करने को प्रोत्साहित करना है। 2015 के नियमों के अंतर्गत लीज़ी को खनिजों के मूल्य का कुछ हिस्सा राज्य सरकार को देना होता है। संशोधन में प्रावधान किया गया है कि अगर लीज़ी उत्पादन शुरू करने की अधिसूचित तारीख से पहले डिस्पैच शुरू कर देता है तो उसे अधिसूचित तारीख से पहले

डिस्पैच की गई मात्रा पर केवल 50% राशि सरकार को चुकानी होगी। यह पूरी तरह से खोजे गए खनिज ब्लॉक के उत्पादन पर लागू होगा।

कुछ मामलों में आशय पत्र के हस्तांतरण हेतु नियमों में संशोधन

खान मंत्रालय ने खनिज (एटॉमिक और हाइड्रो कार्बन एनर्जी खनिजों के अतिरिक्त) रियायत (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया।[42] 2021 के नियम खनिज (एटॉमिक और हाइड्रो कार्बन एनर्जी खनिजों के अतिरिक्त) रियायत नियम, 2016 में संशोधन करते हैं।[43] संशोधन उन मामलों में आशय पत्र के हस्तांतरण का प्रावधान करते हैं जहां सफल बिडर का स्वामित्व इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी संहिता, 2016 के अंतर्गत इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया के अनुसार बदल सकता है। आशय पत्र खनन लीज़ के सफल बिडर को जारी किया जाता है। इनसॉल्वेंसी वह स्थिति होती है जब व्यक्ति या कंपनियां अपने बकाये ऋण को चुका नहीं पाते। 2016 के नियमों में सफल बिडर के नए ओनर को आशय पत्र के हस्तांतरण का प्रावधान नहीं था।[44]

सफल बोलीकर्ता का नया ओनर राज्य सरकार को आशय पत्र के हस्तांतरण के लिए आवेदन करेगा। नए ओनर को 1957 के एक्ट के अनुसार, खानों की नीलामी में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए। राज्य सरकार को 90 दिनों के भीतर हस्तांतरण के आवेदन पर फैसला करना होगा। सरकार लिखित में कारण बताकर अनुरोध को मंजूर या रद्द कर सकती है।

स्वास्थ्य

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी (संशोधन) बिल, 2020 पारित

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी (संशोधन) बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[45] बिल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी एक्ट, 1971 में संशोधन करता है जिसमें पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशनर्स द्वारा कुछ स्थितियों में गर्भावस्था को समाप्त करने (गर्भपात करने) से जुड़े प्रावधान हैं। बिल गर्भावस्था को समाप्त करने की परिभाषा को इसमें शामिल करता है। इसका अर्थ मेडिकल या सर्जिकल तरीकों से गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया है।

- **गर्भावस्था को समाप्त करना:** एक्ट के अंतर्गत 12 हफ्ते के अंदर गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है, अगर पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशनर की राय निम्नलिखित है: (i) गर्भावस्था से मां के जीवन को खतरा हो सकता है या उसकी सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है, या (ii) अगर इस बात का जोखिम है कि बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से असामान्य पैदा हो सकता है। 12 से 20 हफ्ते में गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दो मेडिकल प्रैक्टीशनर्स की राय अपेक्षित है।
- बिल इस प्रावधान में संशोधन करता है और कहता है कि पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशनर की राय से 20 हफ्ते के भीतर गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। 20 से 24 हफ्ते के बीच गर्भपात कराने के लिए दो पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशनर्स की राय की अपेक्षा की जाएगी। 24 हफ्ते तक गर्भपात कराने वाला प्रावधान सिर्फ विशिष्ट श्रेणी की महिलाओं पर लागू होगा और उन श्रेणियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार मेडिकल प्रैक्टीशनर्स के लिए नियमों को अधिसूचित करेगी जिनकी राय गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए अपेक्षित हैं।
- **मेडिकल बोर्ड का गठन:** बिल के अनुसार, गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी, जहां असामान्य भ्रूण (फीटस) के निदान (डायग्नोसिस) के कारण गर्भपात जरूरी है।

इस असामान्य भ्रूण का डायग्नोसिस मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। बिल के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार एक मेडिकल बोर्ड बनाएगी। इन बोर्ड्स में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: (i) गायनाकोलॉजिस्ट, (ii) पीडियाट्रीशियन, (iii) रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट, और (iv) कोई अन्य सदस्य, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। केंद्र सरकार इन मेडिकल बोर्ड्स की शक्तियों और कार्यों को अधिसूचित करेगी।

बिल पर पीआरएस विश्लेषण के लिए कृपया देखें।

राष्ट्रीय एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशंस आयोग बिल, 2020 संसद में पारित

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

राष्ट्रीय एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशंस आयोग बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[46] बिल एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशल्स की शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट और मानकीकृत करने का प्रयास करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **परिभाषाएं**: बिल के अनुसार, 'एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल' उस एसोसिएट, टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट को कहा जाएगा जोकि किसी बीमारी, रोग, चोट या क्षति के निदान और उपचार में सहयोग देने के लिए प्रशिक्षित हो। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को बिल के अंतर्गत डिप्लोमा या डिग्री हासिल होनी चाहिए। डिप्लोमा या डिग्री की अवधि कम से कम 2,000 घंटे होनी चाहिए (दो से चार वर्षों के दौरान)।
- **एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशंस**: बिल एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशंस की कुछ श्रेणियों को मान्यता प्राप्त श्रेणियां निर्दिष्ट करता है। ये बिल की अनुसूची में शामिल हैं और इनमें लाइफ साइंस प्रोफेशनल्स, ट्रॉमा और बर्न केयर प्रोफेशनल्स, सर्जिकल और एनेस्थीसिया से जुड़े टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, फिजियोथेरेपिस्ट्स और न्यूट्रीशन साइंस प्रोफेशनल्स शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशंस आयोग**: बिल राष्ट्रीय एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशंस आयोग की स्थापना करता है। आयोग नीतियां और मानदंड बनाने, सभी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स का ऑनलाइन सेंट्रल रजिस्टर बनाना और उसे मेनटेन करने, शिक्षा और प्रशिक्षण के बुनियादी मानदंड तय करने और एक समान एंट्रेंस और एग्जिट परीक्षा का प्रावधान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- **राज्य परिषदें**: राज्य सरकार को बिल के पारित होने के छह महीने के भीतर राज्य एलाइड और हेल्थकेयर परिषदों का गठन करना होगा। राज्य परिषदें पेशेवर आचरण को लागू करने, राज्य रजिस्टरों को मेनटेन करने, संस्थानों का निरीक्षण करने, और एक समान एंट्रेंस और एग्जिट परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगी।
- **अपराध और सजा:** राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित क्वालिफाइड एलाइड और हेल्थकेयर प्रैक्टीशनर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ेगी।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) बिल, 2021 लोकसभा में पेश

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) बिल, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया।[47] बिल राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान एक्ट, 1998 में संशोधन का प्रयास करता है। 1998 के एक्ट के अंतर्गत पंजाब में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी और

उसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का अर्थ है, किसी एक्ट के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त संस्थान जिसके पास परीक्षाएं संचालित करने, डिग्रियां, डिप्लोमा और दूसरी शैक्षणिक पदवियां या टाइटिल्स देने की शक्ति हो। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को केंद्र सरकार से वित्त पोषण प्राप्त होता है। बिल के मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **राष्ट्रीय महत्व के नए संस्थान**: बिल छह अन्य राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है। ये संस्थान: (i) अहमदाबाद, (ii) हाजीपुर, (iii) हैदराबाद, (iv) कोलकाता, (v) गुवाहाटी, और (vi) रायबरेली में स्थित हैं।
- **काउंसिल की स्थापना**: बिल एक काउंसिल का प्रावधान करता है जोकि बिल के अंतर्गत आने वाले संस्थानों की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करेगी ताकि फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान का विकास हो और मानदंड बरकरार रहें। काउंसिल के कामकाज में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) पाठ्यक्रम की अवधि और संस्थानों में दाखिले के मानदंडों से संबंधित मामलों पर सलाह देना, (ii) भर्ती, सेवा शर्तों और फीस के लिए नीतियां बनाना, (iii) और संस्थानों की विकास योजनाओं की समीक्षा करना और उन्हें मंजूरी देना।
- **बोर्ड ऑफ गवर्नर्स**: बोर्ड गवर्नर बोर्ड के सदस्यों की संख्या प्रत्येक संस्थान में 23 से 12 करता है। बोर्ड की अध्यक्षता प्रतिष्ठित शिक्षाविद या प्रोफेशनल करेगा। बोर्ड के पदेन सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) संस्थान के डायरेक्टर, (ii) संबंधित राज्य सरकार में मेडिकल या तकनीकी शिक्षा से संबंधित सेक्रेटरी, और (iii) भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल (डीसीजीआई) का एक प्रतिनिधि।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) बिल, 2020 पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्टैंडिंग कमिटी ने असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) बिल, 2020 पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[48] यह बिल असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (एआरटी) सेवाओं के रेगुलेशन के प्रावधान का प्रयास करता है। एआरटी में ऐसी सभी तकनीक शामिल हैं जिनमें मानव शरीर के बाहर स्पर्म या ओसाइट (अपरिपक्व एग सेल) को रखकर किसी महिला की प्रजनन प्रणाली में गैमेट (स्पर्म या एग) को प्रत्यारोपित करके गर्भावस्था हासिल की जाती है।

- **एआरटी बैंक**: बिल के अंतर्गत एआरटी बैंक निम्नलिखित के लिए रजिस्टर्ड एंटिटी के तौर पर काम करता है: (i) गैमेट डोनर्स की स्क्रीनिंग, और (ii) सीमन का कलेक्शन, स्क्रीनिंग और स्टोरेज। कमिटी ने कहा कि इस परिभाषा में एआरटी बैंकों की भूमिका स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त गैमेट डोनर्स की स्क्रीनिंग एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों की मौजूदगी जरूरी होती है। संभव है कि एआरटी बैंक्स के पास ऐसे डॉक्टर्स न हों। कमिटी ने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को एआरटी बैंक्स की भूमिका, तथा उनमें स्पेशलिस्ट्स होने का प्रावधान स्पष्ट करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गैमेट्स की स्क्रीनिंग एआरटी क्लिनिक द्वारा की जानी चाहिए और बैंकों की जिम्मेदारी गैमेट्स का कलेक्शन, स्टोरेज और सप्लाई होना चाहिए।
- **डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी**: बिल में निर्दिष्ट किया गया है कि एआरटी क्लिनिक्स और बैंक्स द्वारा जमा किए गए डेटा (जैसे इस्तेमाल की गई प्रक्रियाएं) को डेटा प्राप्त होने के एक महीने के भीतर केंद्रीय डेटाबेस (नेशनल रजिस्ट्री) में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। एआरटी क्लिनिक्स और बैंक्स को इस डेटा को कम से कम 10 वर्षों तक

स्टोर करना होगा। नेशनल रजिस्ट्री को निरीक्षण के लिए इस डेटा को राष्ट्रीय बोर्ड के साथ साझा करना होगा। कमिटी ने कहा कि यह पर्सनल डेटा है जिससे कमीशनिंग कपल्स, महिला या डोनर्स की पहचान जाहिर हो सकती है। उसने सुझाव दिया कि मरीजों और कमीशनिंग कपल्स के पर्सनल डेटा को ऐसे प्रारूप में बदल दिया जाना चाहिए जिसमें डेटा प्रिंसिपल (जिस व्यक्ति का डेटा है) की पहचान न की जा सके। डेटा विशिष्ट उद्देश्य के लिए जमा किया जाना चाहिए और उसे उतने समय के लिए रखा जाना चाहिए जितना समय उस उद्देश्य के लिए जरूरी हो। इसके अतिरिक्त बिल में प्राइमरी सोर्स पर डेटा को अनाम करने का प्रावधान शामिल होना चाहिए।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना पर स्टैंडिंग कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

रसायन और उर्वरक संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: कनिमोझी करुणानिधि) ने प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के कार्यान्वयन पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[49] पीएमबीजेपी का लक्ष्य सस्ती दरों पर सभी को अच्छी जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र नामक डेडिकेटेड आउटलेट्स खोले गए हैं जहां आम लोगों को जेनेरिक दवाएं बेची जाती हैं। कमिटी के मुख्य निष्कर्ष और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **योजना का कवरेज**: कमिटी ने कहा कि योजना का कवरेज अपर्याप्त है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत 732 जिलों को कवर किया गया है, जबकि 2020-21 में लक्ष्य 739 का था। कमिटी ने योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का राज्यवार विश्लेषण करने का सुझाव दिया। उसने सुझाव दिया कि फार्मास्यूटिकल्स विभाग को जिला स्तरीय कवरेज की जगह ब्लॉक स्तर के कवरेज पर ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त कमिटी ने यह सुझाव भी दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों, सुदूर क्षेत्रों, स्लम्स और निम्न आय वर्ग के लोगों को सेवाएं प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का गठन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) का गठन किया है।[50] यह पब्लिक एकाउंट्स में सिंगल नॉन लैप्सेबल फंड है जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा सेस में स्वास्थ्य की मद में प्राप्त आय को जमा किया जाता है। एक नॉन-लैप्सेबल फंड वह होता है जहां वित्तीय वर्ष के लिए अप्रयुक्त फंड को अगले वर्ष में उपयोग के लिए स्थानांतरित किया जाता है।[50]

पीएमएसएसएन को विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, (ii) आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र, (iii) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और (iv) स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों की तैयारी और उनसे संबंधित पहल।[50]

स्टैंडिंग कमिटी ने सतत विकास लक्ष्यों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी

महिला एवं बाल विकास

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन बिल, 2021 लोकसभा में पारित

लोकसभा ने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन बिल, 2021 को पारित कर दिया।[52] बिल किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) एक्ट, 2015 में संशोधन करता है। एक्ट में कानून से संघर्षरत बच्चों और देखरेख तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों से

संबंधित प्रावधान हैं।[53] बिल में बाल संरक्षण को मजबूत करने के उपाय किए गए हैं। मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:[52]

- **गंभीर अपराध**: एक्ट में प्रावधान किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड उस बच्चे की छानबीन करेगा जिस पर गंभीर अपराध करने का आरोप है। गंभीर अपराध वे होते हैं जिनके लिए तीन से सात वर्ष तक की जेल की सजा दी जाती है। बिल में यह जोड़ा गया है कि गंभीर अपराधों में ऐसे अपराध भी शामिल होंगे जिनके लिए सात वर्ष से अधिक की अधिकतम सजा है, और न्यूनतम सजा निर्दिष्ट नहीं की गई है या सात वर्ष से कम की सजा है।
- **एडॉप्शन**: एक्ट में भारत और किसी दूसरे देश के संभावित दत्तक (एडॉप्टिव) माता-पिता द्वारा बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है। संभावित दत्तक माता-पिता द्वारा बच्चे को स्वीकार करने के बाद एडॉप्शन एजेंसी सिविल अदालत में एडॉप्शन के आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन करती है। अगर विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति भारत में अपने किसी संबंधी से बच्चा एडॉप्ट करना चाहता है तो उसे अदालत से एडॉप्शन का आदेश हासिल करना होगा। अदालत द्वारा जारी आदेश से यह स्थापित होता है कि बच्चा एडॉप्टिव माता-पिता का है। बिल इसमें संशोधन करता है कि इसके स्थान पर जिला मेजिस्ट्रेट को एडॉप्शन के आदेश जारी करने का अधिकार देता है।
- **अपील**: बिल में प्रावधान है कि जिला मेजिस्ट्रेट के एडॉप्शन के आदेश से पीड़ित व्यक्ति आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर डिविजनल कमीशनर के सामने अपील दायर कर सकता है। अपील दायर करने की तारीख से चार हफ्ते के अंदर उसे निपटाया जाना चाहिए।
- **निर्दिष्ट अदालत**: एक्ट में प्रावधान है कि कानून के अंतर्गत बच्चों के खिलाफ अपराधों, जिनके लिए सात वर्ष से अधिक की जेल की सजा है, का मुकदमा बाल अदालत में चलाया जाएगा। अन्य अपराधों (सात वर्ष से कम की जेल की सजा वाले) के लिए ज्यूडीशियल मेजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। बिल में प्रस्ताव है कि एक्ट के अंतर्गत सभी अपराधों के लिए बाल अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

कानून एवं न्याय

Saket Surya (saket@prsindia.org)

आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन (संशोधन) बिल, 2021 पारित

आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन (संशोधन) बिल, 2021 को संसद में पारित कर दिया गया। यह आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन एक्ट, 1996 में संशोधन करता है। एक्ट में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन से संबंधित प्रावधान हैं और यह सुलह प्रक्रिया को संचालित करने से संबंधित कानून को स्पष्ट करता है। बिल ऐसे ही प्रावधान करने वाले एक अध्यादेश का स्थान लेता है जिसे 4 नवंबर, 2020 को जारी किया गया था। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **फैसले पर ऑटोमैटिक स्टे**: 1996 के एक्ट में विभिन्न पक्षों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे आर्बिट्रेशन संबंधी किसी फैसले (आर्बिट्रेशन अवार्ड यानी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में दिए गया कोई आदेश) के निवारण (सेटिंग असाइड) के लिए आवेदन दे सकते हैं। अदालतों ने इस प्रावधान की व्याख्या इस तरह की कि अदालत के समक्ष जैसे ही निवारण के लिए कोई आवेदन रखा जाता है, उसी क्षण आर्बिट्रेशन के फैसले पर ऑटोमैटिक स्टे लग जाएगा। 2015 में इस

एक्ट में संशोधन किया गया और कहा गया कि आर्बिट्रेशन संबंधी किसी फैसले पर सिर्फ इस वजह से स्टे नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उसके निवारण के लिए अदालत में कोई आवेदन दायर किया गया है।

- बिल में निर्दिष्ट किया गया है कि आर्बिट्रेशन संबंधी किसी फैसले पर स्टे दिया जा सकता है (आवेदन के लंबित रहने के बावजूद), अगर अदालत को इस बात का विश्वास है कि: (i) संबंधित आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, या (ii) फैसला, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था। यह बदलाव 23 अक्टूबर, 2015 से प्रभावी होगा।
- **आर्बिट्रेटर्स की क्वालिफिकेशन**: एक्ट एक अलग अनुसूची में आर्बिट्रेटर्स की कुछ क्वालिफिकेशंस, अनुभव और एक्रेडेशन के नियमों को निर्दिष्ट करता है। अनुसूची के अंतर्गत शर्तों में कहा गया है कि आर्बिट्रेटर को (i) 1961 के एडवोकेट्स एक्ट के अंतर्गत वकील होना चाहिए और उसे 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या (ii) उसे इंडियन लीगल सर्विस का एक अधिकारी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आर्बिट्रेटर पर लागू सामान्य नियमों में यह भी शामिल है कि उन्हें भारतीय संविधान का जानकार होना चाहिए। बिल में इस अनुसूची को हटा दिया गया है और कहा गया है कि आर्बिट्रेटर्स की क्वालिफिकेशन, अनुभव और एक्रेडेशन के नियमों को रेगुलेशंस द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

नागरिक उड्डयन

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

भारतीय एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (संशोधन) बिल, 2021 लोकसभा में पेश किया गया

भारतीय एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (संशोधन) बिल, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया।[54] यह बिल भारतीय एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, 2008 में संशोधन करता है। 2008 का एक्ट एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (एयरा) की स्थापना करता है। एयरा भारत के मुख्य एयरपोर्ट्स की एयरोनॉटिकल सेवाओं के लिए टैरिफ और दूसरे शुल्क (जैसे एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस) को रेगुलेट करता है।

2008 के एक्ट के अनुसार, मुख्य एयरपोर्ट्स में ऐसे एयरपोर्ट्स आते हैं जिनका वार्षिक यात्री ट्रैफिक कम से कम 35 लाख है। केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए किसी एयरपोर्ट को मुख्य एयरपोर्ट निर्दिष्ट कर सकती है। बिल में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार एयरपोर्ट्स को ग्रुप कर सकती है और उस ग्रुप को मुख्य एयरपोर्ट के तौर पर अधिसूचित कर सकती है।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

मानवरहित विमान प्रणाली नियम, 2021 अधिसूचित

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मानवरहित विमान प्रणाली नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं।[55] इन नियमों का लक्ष्य भारत में मानवरहित विमान प्रणालियों (यूएएस) को रेगुलेट करना है। यूएएस में ऐसे मानवरहित विमान और उससे संबंधित वस्तुएं (जैसे संचार प्रणालियां और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन) आती हैं जिन्हें पायलट के बिना परिचालित किया जाता है। नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे: (i) भारत में रजिस्टर्ड सभी यूएएस, भले ही उनकी मौजूदा लोकेशन कोई भी हो, (ii) यूएएस रखने वाला या यूएएस के विभिन्न पहलुओं (जैसे निर्यात, आयात, मैन्यूफैक्चरिंग और परिचालन) से संलग्न व्यक्ति, और (iii) भारत में या उसके ऊपर उड़ने वाले

यूएएस। नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **मैन्यूफैक्चरिंग, व्यापार, स्वामित्व और परिचालन**: नियमों में निर्दिष्ट किया गया है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की अनुमति के बिना यूएएस (प्रोटोटाइप सहित) न तो मैन्यूफैक्चर किया जाएगा, और न ही आयात। आयात, मैन्यूफैक्चरिंग, व्यापार, स्वामित्व और परिचालन के अधिकार की अनुमति हेतु डीजीसीए में आवेदन किया जाएगा। यह अधिकार 10 वर्षों के लिए वैध होगा और इसे रीन्यू किया जा सकता है।
- **यूएएस का परिचालन**: निम्नलिखित के बिना देश में कोई यूएएस परिचालित नहीं किया जाएगा: (i) मैन्यूफैक्चर और उड़ान योग्यता का सर्टिफिकेट, और (ii) महानिदेशक द्वारा जारी परमिट, जिसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। सर्टिफिकेट अधिकृत टेस्टिंग लेबोरेट्री के सुझावों के आधार पर दिया जाएगा।

  कुछ क्षेत्रों में मानवरहित विमान नहीं उड़ाए जाएंगे। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूरु और हैदराबाद के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों के 5 किलोमीटर दायरे के क्षेत्र, (ii) नागरिक, निजी और रक्षा हवाई अड्डों और सैन्य केंद्रों के 3 किलोमीटर दायरे के क्षेत्र, (iii) अंतरराष्ट्रीय सीमाओं जिसमें नियंत्रण रेखा (एलओसी) और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) शामिल हैं, के 25 किलोमीटर दायरे के क्षेत्र, और (iv) भारत के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के इर्द-गिर्द के भू-संवेदी क्षेत्र।
- **अपराध और सजा**: नियमों में निर्दिष्ट किया गया है कि विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को जुर्माना भरना पड़ेगा (10 हजार रुपए से एक लाख रुपए के बीच)। जुर्माने निम्नलिखित दरों पर वसूले जाएंगे: (i) 200%, अगर उल्लंघन किसी छोटे संगठन ने किया है (अधिकतम 50 कर्मचारियों वाले), (ii) 300%, अगर उल्लंघन किसी मध्यम स्तर के संगठन ने किया है (51-200 कर्मचारियों वाले), और (iii) 400%, अगर उल्लंघन किसी बड़े संगठन ने किया है (200 से अधिक कर्मचारियों वाले)।

शिपिंग

नैविगेशन के लिए मैरीन एड्स बिल, 2021 लोकसभा में पारित

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

नैविगेशन के लिए मैरीन एड्स बिल, 2021 को लोकसभा में पारित कर दिया गया।[56] बिल भारत में नैविगेशन एड्स के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करने का प्रयास करता है। यह लाइटहाउस एक्ट, 1972 को रद्द करता है जिसमें भारत में लाइटहाउसेज़ के रखरखाव और नियंत्रण का प्रावधान है।[56] बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:[56]

- **बिल का दायरा**: बिल पूरे भारत पर लागू होता है जिसमें टेरिटोरियल वॉटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मैरीटाइम जोन्स शामिल हैं।
- **नैविगेशन में सहायता**: बिल के अनुसार, नैविगेशन एड वेसल (जलयान) के बाहर लगा ऐसा यंत्र, सिस्टम, या सेवा है जिसे वेसल और वेसल ट्रैफिक के सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए डिजाइन और ऑपरेट किया जाता है।
- **नैविगेशन एड्स और वेसल ट्रैफिक सेवाओं का प्रबंधन**: केंद्र सरकार नैविगेशन एड्स और वेसल ट्रैफिक सेवाओं के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। इनके प्रबंधन से जुड़ी शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं (i) नैविगेशन एड्स लगाना, उनका रखरखाव, एड्स को जोड़ना, उनमें फेरबदल या उन्हें हटाना, और (ii) एड्स के निरीक्षण के लिए अधिकृत करना जोकि नैविगेशन की

सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है।

- **ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन**: बिल में प्रावधान है कि वैध प्रशिक्षण सर्टिफिकेट के बिना किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर नैविगेशन एड (एंसिलरी गतिविधियों सहित) या वेसल ट्रैफिक सेवा के संचालन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षण संगठनों को एक्रेडिट करेगी, या नैविगेशन एड्स और वेसल ट्रैफिक सेवाओं का संचालन करने वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन करवाएगी।
- **सजा**: बिल कुछ अपराधों और सजा का प्रावधान करता है। उदाहरण के लिए नैविगेशन एड या वेसल ट्रैफिक सेवा के प्रभाव को जानबूझकर बाधित, कम या सीमित करने पर छह महीने तक की सजा या एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

खाद्य प्रसंस्करण

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान बिल, 2019 राज्यसभा में पारित

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान बिल, 2019 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया।[57] बिल कुछ खाद्य प्रसंस्करण, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है।

जिन संस्थानों को इस बिल में शामिल किया गया है, वे हैं, कुंडली स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान तथा तंजावुर स्थित भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान। बिल इन संस्थानों को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान घोषित करता है

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना को मंजूरी दी

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

केंद्रीय कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना (पीएलआई) को मंजूरी दी।[58] इस योजना का लक्ष्य प्रसंस्करण क्षमता में विस्तार करने वाली खाद्य मैन्यूफैक्चरिंग एंटिटीज़ को सहयोग करना और अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग के जरिए भारतीय ब्रांड्स को उभरने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के अंतर्गत सरकार चार मुख्य खाद्य उत्पाद खंडों में प्लांट मशीनरी की मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करेगी। ये हैं: (i) रेडी टू कुक/ईट फूड्स, (ii) प्रोसेस्ड सब्जियां और फल, (iii) समुद्री उत्पाद, और (iv) मॉज़रेला चीज़। न्यूनतम निर्दिष्ट बिक्री और 2020-23 के दौरान न्यूनतम राशि के निवेश, जैसा कि निर्दिष्ट हो, को इच्छुक मैन्यूफैक्चरर्स इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे। हालांकि ये शर्तें लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों (एसएमईज़) के इनोवेटिव/ऑर्गेनिक उत्पादों, जैसे अंडे, अंडों से बने उत्पादों और पोल्ट्री मीट पर लागू नहीं होंगी।

योजना के अंतर्गत सरकार 2021-22 से 2026-27 के दौरान छह वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक आधार पर चुनींदा लाभार्थियों को इनसेंटिव देगी। छह वर्ष की अवधि के लिए योजना हेतु 10,900 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

योजना के अंतर्गत मैन्यूफैक्चरर्स को इनसेंटिव देने के लिए 9,040 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं जिनमें से 250 करोड़ रुपए एसएमईज़ के इनोवेटिव/ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त विदेशों में महत्वपूर्ण भारतीय ब्रांड्स की ब्रांडिंग और मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इनमें इन-स्टोर ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस रेंटिंग और मार्केटिंग के लिए अनुदान दिए जाएंगे।

खाद्य वितरण

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण पर स्टैंडिंग कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: सुदीप बंदोपाध्याय) ने 19 मार्च, 2021 को 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण- तकनीकी साधनों का उपयोग और एक देश एक राशन कार्ड योजना का कार्यान्वयन' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[59] भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) उचित दर की दुकानों (एफपीएस) के नेटवर्क के जरिए राज्य सरकार द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को सबसिडीयुक्त खाद्य पदार्थ प्रदान करती है। एक देश एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना को 2019 में शुरू किया गया गया था ताकि लाभार्थियों को देशव्यापी पोर्टेबिलिटी मिले और वे देश के किसी भी स्थान से पीडीएस का लाभ उठा सकें। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **ओएनओआरसी के कार्यान्वयन में विषमता**: कमिटी ने गौर किया कि विभिन्न राज्य सरकारों के कार्यान्वन में विषमताएं हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ और असम को पोर्टेबिलिटी ग्रिड को ऑनबोर्ड करना बाकी है, जबकि 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। पोर्टेबिलिटी ग्रिड की ऑनबोर्डिंग से लाभार्थी दूसरे राज्यों में अपनी हकदारियों का दावा कर सकते हैं। कमिटी यह भी कहा कि राज्यों द्वारा ओएनओआरसी के कार्यान्वयन और पीडीएस के कामकाज पर नजर रखने के लिए गठित स्टेट विजिलेंस कमिटी की बैठकें नियमित रूप से नहीं होतीं। कमिटी ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार का खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्यों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करे।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर स्टैंडिंग कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: सुदीप बंदोपाध्याय) ने 19 मार्च, 2021 को 'अनिवार्य वस्तुओं की मूल्य वृद्धि-कारण और प्रभाव' विषय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **अनिवार्य वस्तुओं की सूची**: कमिटी ने कहा कि अनिवार्य वस्तु एक्ट, 1955 (ईसीए) के अंतर्गत सात वस्तुएं (जैसे दवाएं, खाद्य तेल और कच्चा पटसन) सूचीबद्ध हैं लेकिन 2006 से इस सूची में कोई बड़ा संशोधन नहीं किया गया है। कमिटी ने सुझाव दिया कि एक्ट के अंतर्गत अधिसूचित वस्तुओं की सूची में आवर्ती समीक्षा के लिए एक व्यवस्था तैयार की जाए। इसके अतिरिक्त उसने सुझाव दिया कि सूची में अधिक उपभोक्ता वस्तुओं को शामिल किया जाए (विशिष्ट रूप से स्वास्थ्य से संबंधित)।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

सामाजिक न्याय

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) बिल संसद में पारित

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2021 को संसद में पारित कर दिया गया।[60] बिल संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करता है।

संविधान में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान संसद को इस बात की अनुमति देता है कि वह अनुसूचित जातियों को अधिसूचित करने के लिए इस सूची में बदलाव कर सकती है। बिल तमिलनाडु

राज्य द्वारा प्रस्तावित बदलावों को प्रभावी बनाता है।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

कॉरपोरेट मामले

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

कंपनी एक्ट के अंतर्गत प्रबंधन अधिकारियों के पारिश्रमिक की सीमा में संशोधन

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी एक्ट, 2013 के अंतर्गत प्रबंधकीय अधिकारियों के पारिश्रमिक की सीमाओं में संशोधन किए हैं।[61] एक्ट के अंतर्गत अनुसूचियों में इन सीमाओं को निर्दिष्ट किया गया है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के जरिए संशोधित किया जा सकता है। कंपनी के अन्य निदेशकों (गैर प्रबंधकीय) के पारिश्रमिक की सीमाएं भी जोड़ी गई हैं (तालिका 4)। प्रबंधकीय अधिकारियों के पारिश्रमिक की सीमाओं में वृद्धि की गई है (तालिका 5)। ये सीमाएं कंपनी की प्रभावी पूंजी पर आधारित हैं। कंपनी की प्रभावी पूंजी का अर्थ होता है, कंपनी शेयर्स के एक्सचेंज में शेयरहोल्डर्स से प्राप्त होने वाला कुल धन।

तालिका 4: अन्य निदेशकों (गैर प्रबंधकीय) के वार्षिक पारिश्रमिक की सीमा

प्रभावी पूंजी	वार्षिक पारिश्रमिक की सीमा
5 करोड़ रुपए से कम	12 लाख रुपए
5 करोड़ रुपए और उससे अधिक, लेकिन 100 करोड़ रुपए से कम	17 लाख रुपए
100 करोड़ रुपए और उससे अधिक, लेकिन 250 करोड़ रुपए से कम	24 लाख रुपए
250 करोड़ रुपए और उससे अधिक	24 लाख रुपए और 250 करोड़ रुपए से अधिक प्रभावी पूंजी का 0.01%

Sources: The Companies Act, 2013; S.O. 1256 (E), Ministry of Corporate Affairs, March 18, 2021; PRS.

तालिका 5: प्रबंधकीय अधिकारियों के वार्षिक पारिश्रमिक की सीमा में परिवर्तन

प्रभावी पूंजी	वार्षिक पारिश्रमिक की पूर्व सीमा	वार्षिक पारिश्रमिक की नई सीमा
5 करोड़ रुपए से कम	30 लाख रुपए	60 लाख रुपए
5 करोड़ रुपए और उससे अधिक, लेकिन 100 करोड़ रुपए से कम	42 लाख रुपए	84 लाख रुपए
100 करोड़ रुपए और उससे अधिक, लेकिन 250 करोड़ रुपए से कम	60 लाख रुपए	1.2 करोड़ रुपए
250 करोड़ रुपए और उससे अधिक	60 लाख रुपए और 250 करोड़ रुपए से अधिक प्रभावी पूंजी का 0.01%	1.2 करोड़ रुपए और 250 करोड़ रुपए से अधिक प्रभावी पूंजी का 0.01%

Sources: The Companies Act, 2013; S.O. 1256 (E), Ministry of Corporate Affairs, March 18, 2021; PRS.

श्रम एवं रोजगार

वेतन संहिता (केंद्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2021 अधिसूचित

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वेतन संहिता (केंद्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2021 को अधिसूचित किया।[62] नियम सभी केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे। नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **बोर्ड का गठन**: संहिता में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान है। नियमों में निर्दिष्ट किया गया है कि बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 व्यक्ति, (ii) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 व्यक्ति, (iii) 11 स्वतंत्र व्यक्ति (दो संसद सदस्य और वेतन एवं श्रम क्षेत्र के चार पेशेवर लोग सहित), और (iv) राज्य सरकारों के पांच प्रतिनिधि। इसके अतिरिक्त कुल सदस्यों में से एक तिहाई को महिला होना चाहिए और स्वतंत्र सदस्यों की संख्या

कुल सदस्यों की एक तिहाई से कम होनी चाहिए। बोर्ड के कार्य संपादन के दौरान किसी स्थिति में एक बराबर वोट होने पर चेयरपर्सन का कास्टिंग वोट होगा।

- **बोर्ड के कार्य**: संहिता में प्रावधान है कि बोर्ड विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देगा जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) न्यूनतम वेतन का निर्धारण, और (ii) महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि। नियमों में कहा गया है कि बोर्ड केंद्र सरकार को वर्किंग जर्नलिस्ट्स, और सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के निर्धारण के संबंधित मुद्दों पर भी सलाह देगा।
- **बोर्ड की बैठकें**: बोर्ड का चेयरपर्सन, कम से कम 15 दिन का नोटिस देकर, किसी भी समय जो उसे उचित लगे, बोर्ड की बैठक करा सकते है। इसके अतिरिक्त अगर न्यूनतम आधे सदस्य उससे बैठक करने का अनुरोध करते हैं तो उसे अनुरोध की तारीख से 30 दिनों के भीतर बैठक करानी होगी।
- किसी कार्य से संबंधित बैठक में न्यूनतम एक तिहाई सदस्य और नियोक्ता एवं कर्मचारियों, प्रत्येक के न्यूनतम एक प्रतिनिधिक सदस्य को मौजूद होना चाहिए।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर स्टैंडिंग कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

पब्लिक एकाउंट्स कमिटी (चेयर: अधीर रंजन चौधरी) ने 15 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के कार्यान्वयन पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[63] पीएमईजीपी को 2008 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य गैर कृषि क्षेत्रों में परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को सूक्ष्म उद्यम लगाने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी देना है। यह रिपोर्ट 2008 से 2016 के दौरान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है। मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **नोडल बैंक्स**: कमिटी ने कहा कि पीएमईजीपी के अंतर्गत धनराशि संवितरित करने वाला एक नोडल बैंक प्रस्तावित किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो कि दावों की प्रोसेसिंग जल्द हो और धनराशि निष्क्रिय न पड़ी रहे। इसके लिए 2016 से 2020 के बीच कॉरपोरेशन बैंक को नोडल बैंक के तौर पर नियुक्त किया गया था। कमिटी ने कहा कि कॉरपोरेशन बैंक ने इस अवधि के लिए आबंटित राशि से अधिक राशि जारी की। कमिटी ने सुझाव दिया कि पीएमईजीपी के अंतर्गत दावों को वैलिडेट करने से पहले नोडल बैंक धनराशि को मंजूरी न दे, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जांच कराई जाए। 2020 में इंडियन बैंक को नोडल बैंक बनाया गया। कमिटी ने कहा कि 2020 तक बैंक ने 154 करोड़ रुपए संवितरित नहीं किए थे। उसने निर्धारित समयावधि का पालन करने का सुझाव दिया ताकि यह सुनिश्चित हो कि धनराशि लंबे समय तक बकाया न रहे।

रिपोर्ट के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

सड़क परिवहन

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

वाहन स्क्रैपिंग नीति जारी की गई

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति जारी की जिसका लक्ष्य अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की एक प्रणाली तैयार करना है।[64] सरकार का अनुमान है कि इस प्रणाली से देश में अतिरिक्त 35,000 नौकरियों का सृजन होगा और लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। नीतियों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **मानदंड**: वाहनों की स्क्रैपिंग का मानदंड फिटनेस टेस्ट पर आधारित होग। इसमें एमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग, सुरक्षा उपकरण और

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत निर्दिष्ट अन्य टेस्ट शामिल हैं। कमर्शियल वाहनों के लिए वाहनों का फिटनेस ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स द्वारा निर्धारित होगा और निजी वाहनों के मामलों में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के रीन्यूअल के जरिए। फिटनेस टेस्ट में फेल होने या रीन्यूअल सर्टिफिकेट न पाने पर वाहनों की 'मृत' (एंड ऑफ लाइन) घोषित किया जाएगा।

- **कमर्शियल वाहन**: कमर्शियल वाहनों को 15 वर्ष बाद डीरजिस्टर किया जाएगा, अगर वे फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त शुरुआती रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 वर्ष बाद कमर्शियल वाहनों पर फिटनेस सर्टिफेकट और टेस्ट की बढ़ी हुई फीस लागू हो सकती है।
- **निजी वाहन**: निजी वाहनों को 20 वर्ष बाद डीरजिस्टर किया जाएगा, अगर वाहन को अनफिट पाया जाता है या वे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर पाते। शुरुआती रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 वर्ष बाद रीरजिस्ट्रेशन फीस लागू होगी।
- **सरकारी वाहन**: (i) केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों, (ii) राज्य परिवहन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, और (iii) केंद्र और राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों के सभी वाहन रजिस्ट्रेशन के 15 वर्ष बाद डीरजिस्टर और स्क्रैप होंगे।
- **इनसेंटिव्स**: पुराने वाहनों के ओनर्स को पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने के लिए रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर्स के जरिए इनसेंटिव्स दिए जाएंगे। ये सेंटर्स स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट देंगे। इनसेंटिव्स में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) स्क्रैपिंग सेंटर्स द्वारा दी जाने वाली स्क्रैप वैल्यू (नए वाहनों की एक्स-शोरूम प्राइज का 4% से 6%), (ii) राज्य सरकारों को यह एडवाइजरी कि पर्सनल वाहनों के लिए अधिकतम 25% और कमर्शियल वाहनों के लिए अधिकतम 15% रोड टैक्स छूट दे, और (iii) स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट्स के बदले नए वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस से छूट।

ड्राफ्ट वाहन स्क्रैपिंग नियमों पर टिप्पणियां आमंत्रित

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन एक्ट, 1988 के अंतर्गत ड्राफ्ट मोटर वाहन (रजिस्ट्रेशन और वाहन स्क्रैपिंग केंद्र के कार्य) नियम, 2021 को जारी किया।[65] ड्राफ्ट नियमों में रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (आरवीएसएफ) बनाने की प्रक्रिया निर्धारित करने का प्रयास किया गया है जोकि वाहनों को टुकड़े करने और उन्हें स्क्रैप करने का अधिकृत केंद्र होगा। ड्राफ्ट नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **शक्तियां और बाध्यताएं**: राज्य या केंद्र शासित सरकार ड्राफ्ट नियमों के अंतर्गत आरवीएफएसज़ को प्राधिकृति जारी कर सकती हैं। ड्राफ्ट नियमों के अंतर्गत आरवीएसएफज़ के मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) वाहन (VAHAN) डेटाबेस में स्क्रैपिंग पर सूचना और स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट्स के इश्यूएंस को इंटर करना, (ii) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और स्थानीय पुलिस द्वारा चोरी के वाहनों के रिकॉर्ड के साथ स्क्रैपिंग के लिए आए वाहनों के रिकॉर्ड्स को मिलाना, और (iii) वाहनों की स्क्रैपिंग करने वाले लोगों का प्रमाणन करना। आरवीएसएफ के पास वाहन डेटाबेस के सुरक्षित एक्सेस के लिए जरूरी साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन होना चाहिए और उन्हें न्यूनतम छह महीने की अवधि के लिए व्यक्तियों के प्रमाणन की प्रतियां रखनी चाहिए।
- **स्क्रैपिंग**: निम्नलिखित के साथ वाले वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए भेजा जा सकता है: (i) लैप्स हो गए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, (ii) फिटनेस के सर्टिफिकेट के बिना, (iii) जिनमें टूट फूट है और ओनर खुद उसे

स्क्रैप सर्टिफाई कर चुका है, और (iv) जिन्हें सरकारी संगठनों ने अप्रचलित या आर्थिक मरम्मत के नाकाबिल बता दिया है। ड्राफ्ट नियमों में वाहन स्क्रैपिंग की प्रक्रियाओं को भी निर्दिष्ट किया गया है।

ड्राफ्ट नियम पर 14 अप्रैल, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।[65]

केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में विभिन्न संशोधन अधिसूचित

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में अनेक संशोधनों को अधिसूचित किया।[66,67,68,69] संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

फ्रंट पैसेंजर सीट पर एयरबैग्स

केंद्रीय मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 में सभी वाहनों के लिए यह अनिवार्य है कि उनकी फ्रंट पैसेंजर सीट पर एयरबैग्स फिट किए जाएं।[68] नए मॉडल्स के लिए संशोधित नियम 1 अप्रैल, 2021 से और मौजूदा मॉडल्स के लिए 31 अगस्त, 2021 से लागू होंगे।

ईंधन की शर्त और वाहन की अनुकूलता

केंद्रीय मोटर वाहन (चौथा संशोधन) नियम, 2021 मार्च 2021 से लागू हुआ है।[67] मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **ईंधन की शर्त**: ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) के विभिन्न मानकों को ईंधनों के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे इथेनॉल, बायो-सीएनजी (कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस) और हाइड्रो एनरिच्ड सीएनजी। बीआईएस भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।[70]
- **वाहनों की अनुकूलता**: सीएनजी, बायो-सीएनजी और हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी से चलने वाले वाहनों को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कमिटी द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा संबंधी शर्तों को पूरा करना चाहिए। यह कमिटी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है।[71] इथेनॉल ब्लेंडेड ईंधनों से चलने वाले वाहनों की अनुकूलता वाहन निर्माताओं द्वारा अन्यथा स्पष्ट की जा सकती है। हालांकि इसे वाहन पर लगे स्टिकर पर भी प्रदर्शित होना चाहिए।

सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग और वाहनों के रीकॉल का रेगुलेशन

केंद्रीय मोटर वाहन (पांचवां संशोधन) नियम, 2021 की वैधता 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होगी।[66] मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **प्रोटोटाइप**: 1989 के नियमों में यह अपेक्षित है कि मोटर वाहनों के निर्माता और आयातक (ट्रेलर्स और सेमी-ट्रेलर्स को छोड़कर) मान्यता प्राप्त टेस्टिंग एजेंसियों को वाहन का प्रोटोटाइप सौंपे।[69] संशोधनों में स्पष्ट किया गया है कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाहन, कंबाइन हार्वेस्टर्स और पावर टिलर्स के निर्माता और आयातक भी टेस्टिंग के लिए प्रोटोटाइप्स सौंपेगे।[66] इसके अतिरिक्त ऑल्टर्ड, रेट्रोफिटेड या एडैप्टेड मोटर वाहनों को भी: (i) मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा टेस्ट और मंजूर किया जाएगा, (ii) मूल उपकरण निर्माता द्वारा खुद सर्टिफाई किया जाएगा, और (iii) अधिकृत वर्कशॉप्स द्वारा सर्टिफाई किया जाएगा।
- **रीकॉल**: संशोधित नियम वाहन के ओनर, टेस्टिंग एजेंसियों और दूसरे अधिकृत स्रोतों को यह अधिकार देते हैं कि वे किसी खास किस्म के वाहन को डिफेक्टिव बताने के लिए वेहिकल रीकॉल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। निर्दिष्ट अधिकारी इसके लिए खुद भी आवेदन कर सकते हैं।

केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में विभिन्न ड्राफ्ट संशोधन जारी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में अनेक ड्राफ्ट

संशोधन जारी किए।[72,73,74,75,76] प्रस्तावित संशोधनों के लिए अप्रैल, 2021 से टिप्पणियां आमंत्रित हैं। इनमें निम्नलिखित संशोधन शामिल हैं:

- **कर से रियायत**: 1989 के नियमों के ड्राफ्ट संशोधनों में वाहन स्क्रैपिंग के सर्टिफिकेट के बदले रजिस्टर्ड वाहनों पर कर रियायत का प्रस्ताव है।[76] सर्टिफिकेट वाहन की स्क्रैपिंग के बाद रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग केंद्र द्वारा जारी किया जाएगा। गैर परिवहन वाहन की स्थिति में यह रियायत मोटर वाहन कर का अधिकतम 25% होगी और रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 वर्ष तक के लिए उपलब्ध होगी। परिवहन वाहनों के लिए यह रियायत अधिकतम 15% होगी और रजिस्ट्रेशन की तारीख से आठ वर्षों तक उपलब्ध होगी।
- **रजिस्ट्रेशन के लिए फीस**: 1989 के नियम में फीस तथा लेटर ऑफ ओनरशिप सहित दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स जारी करने लिए जरूरी अथॉरिटी को निर्दिष्ट किया गया है।[72] ड्राफ्ट नियम निम्नलिखित का प्रयास करते हैं: (i) रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स जारी और रीन्यू करने की फीस में वृद्धि, और (ii) फिटनेस टेस्ट कराने की फीस और 15 वर्ष से पुराने वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट को रीन्यूअल देने से संबंधित विनिर्देश।[75]
- **ईंधन**: ड्राफ्ट संशोधनों में प्रस्तावित है कि एनहाइड्रस इथेनॉल या गैसोलिन के साथ इथोनॉल ब्लेंड पर चलने वाले कुछ वाहनों के लिए सुरक्षा शर्तें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।[72] ड्राफ्ट नियमों पर 11 अप्रैल, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

रेलवे

Saket Surya (saket@prsindia.org)

स्टैंडिंग कमिटी ने पैसेंजर सुविधाओं पर अपनी रिपोर्ट सौंपी

रेलवे संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: राधा मोहन सिंह) ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण सहित यात्री सुविधाओं पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[77] कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **यात्री सुविधाओं के लिए निश्चित धनराशि का उपयोग न होना:** कमिटी ने कहा कि यात्री सुविधाओं के लिए निर्धारित धनराशि को: (i) 2014-15 में 16.3% (ii) 2015-16 में 38.2%, (iii) 2018-19 में 4.3% और (iv) 2019-20 में 44.4% उपयोग नहीं किया जा सका। कमिटी ने सुझाव दिया कि रेलवे को एक वास्तविक बजट तैयार करना चाहिए ताकि वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों को इष्टतम तरीके से हासिल किया जा सके।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

नवीन और अक्षय ऊर्जा

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

175 गिगावॉट अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य प्राप्ति की कार्य योजना पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी

ऊर्जा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: राजीव रंजन सिंह) ने 2022 तक 175 गिगावॉट (GW) अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य प्राप्त की कार्य योजना पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[78] कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **सौर ऊर्जा:** देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2010 में राष्ट्रीय सौर मिशन को शुरू किया गया था। मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार का लक्ष्य 2022 तक 100 GW की ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा हासिल करना है। कमिटी ने कहा कि लॉन्च के एक दशक के

बाद, देश में केवल GW सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। 36 GW क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। उसने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार समय सीमा के भीतर लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रणनीतिक योजना तैयार करे।

- **पवन ऊर्जा**: कमिटी ने कहा कि 2017-18 के बाद से मंत्रालय ने अपने वार्षिक पवन ऊर्जा लक्ष्य को हासिल नहीं किया है। कमिटी ने कहा कि 36 GW और 32 GW की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता गुजरात और तमिलनाडु के तट पर मौजूद है। कमिटी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय को भारत के अन्य तटीय राज्यों में पवन ऊर्जा क्षमता का पता लगाना चाहिए।
- **परियोजनाओं का वित्तपोषण**: कमिटी ने उल्लेख किया कि 58 GW की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए अगले दो वर्षों में 2.6 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इसमें कहा गया है कि इस निवेश को आकर्षित करना आसान नहीं होगा। कमिटी ने सुझाव दिया कि नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय को आगामी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण जुटाना चाहिए।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा आजीविका एप्लिकेशंस को बढ़ावा देने के लिए टिप्पणियां आमंत्रित

नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा (डीआरई) आजीविका एप्लिकेशंस के विकास और संवर्धन के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं।[79] डीआरई आजीविका एप्लिकेशंस का मायने है, आजीविका कमाने के लिए अक्षय ऊर्जा की एप्लिकेशंस (जैसे कि सोलर ड्रायर और बायोमास संचालित कोल्ड स्टोरेज)। फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- **मांग का आकलन**: मंत्रालय डीआरआई आजीविका एप्लिकेशंस लगाने की क्षमता और संभावनाओं का आकलन करेगा।
- **वित्त पोषण**: उद्यमियों और एंड यूजर्स को ऋण प्रदान करने के लिए वित्त पोषण केंद्र बनाया जाएगा। ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान फर्स्ट लॉस डीफॉल्ट गारंटी के अंतर्गत कवर होंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत अगर उधारकर्ता डीफॉल्ट करता है तो थर्ड पार्टी को ऋणदाता को क्षतिपूर्ति देनी होगी। सूक्ष्म व्यवसायों और सीमांत समुदायों को मदद देने के लिए ऋण सुविधा परिचालन-व्यय आधारित मॉडल्स (जैसे किराए पर और पे-एज-यू-गो मॉडल्स) को प्रदान की जाएगी।
- **अंतर-मंत्रालयी स्टीयरिंग कमिटी**: डीआरई आधारित आजीविका एप्लिकेशंस को मदद देने के लिए अंतर-मंत्रालयी स्टीयरिंग कमिटी बनाई जाएगी। नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। कमिटी में निम्नलिखित मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे: (i) कृषि एवं किसान कल्याण, (ii) ऊर्जा, (iii) आदिवासी मामले, और (iv) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।

सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी

आयातित सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स पर क्रमशः 25% और 40% की दर से बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगाई जाएगी।[80] इसका लक्ष्य घरेलू सोलर मैन्यूफैक्चरिंग उद्योगों को बढ़ावा देना है। इससे पहले इन वस्तुओं के आयात पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। यह शुल्क 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगा।

ऊर्जा

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

बिजली वितरण कंपनियों के लिए दिशानिर्देश

ऊर्जा मंत्रालय ने वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश उन्हें इस बात का अधिकार देने के लिए जारी किए हैं कि केंद्र के स्वामित्व वाली उत्पादक कंपनियों के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट की अवधि के पूरा होने के बाद (25 वर्ष या जैसा कि एग्रीमेंट में निर्दिष्ट हो) वे इस एग्रीमेंट पर रहना चाहते हैं या उससे बाहर आना चाहते हैं।[81] परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन के साथ पीपीए पर दिशानिर्देश लागू नहीं हैं। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पीपीए को जारी रखना या उससे बाहर आना**: दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य डिस्कॉम्स 25 वर्ष के बाद पीपीए को जारी रख सकते हैं या उससे बाहर आ सकते हैं। 25 वर्ष के बाद बिजली हासिल करने का पहला अधिकार उस डिस्कॉम के पास होगा जिसके साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

  पीपीए की अवधि समाप्त होने के बाद बाहर निकलने के इच्छुक डिस्कॉम को बिजली उत्पादक स्टेशनों को छह महीने का अग्रिम नोटिस देना होगा। जिन डिस्कॉम ने 25 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है, वे छह महीने की नोटिस अवधि देकर बाहर निकल सकते हैं।

  डिस्कॉम के एग्रीमेंट से बाहर निकलने को संबंधित राज्य बिजली रेगुलेटरी आयोग (एसईआरसी) द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। एसईआरसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एग्रीमेंट से बाहर निकलने के इच्छुक डिस्कॉम के पास बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिजली हो। पीपीए से बाहर निकलने से पहले डिस्कॉम को पूरी बकाया राशि चुकानी होगी।

- **गैर आबंटित बिजली**: गैर आबंटित बिजली वह होती है जिसे किसी विशेष डिस्कॉम को आबंटित नहीं किया गया है। इसे मौजूदा डिस्कॉम के बीच आबंटित बिजली के अनुपात में वितरित किया जाता है। डिस्कॉम्स किसी भी गैर आबंटित बिजली के एग्रीमेंट से पीछे हट सकता है। गैर आबंटित बिजली की व्यवस्था से आंशिक रूप से हटने की अनुमति नहीं है।

- **उत्पादक स्टेशनों द्वारा उपलब्ध बिजली की बिक्री**: डिस्कॉम्स के पीपीए से हटने पर उत्पादक कंपनी निम्नलिखित को उपलब्ध बिजली बेच सकती है: (i) प्रतिस्पर्धी बिडिंग प्रक्रिया के जरिए पीपीए के इच्छुक खरीदार, (ii) पावर एक्सचेंज मार्केट्स में, और (iii) उपलब्ध बिजली को फिर से आबंटित करके मौजूदा डिस्कॉम्स को।

पर्यावरण

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 में संशोधन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 में संशोधन किया है।[82,83,84] अधिसूचना विभिन्न परियोजनाएं, जैसे बांध, खान, हवाई अड्डा और राजमार्ग के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को रेगुलेट करती है। मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पूर्व पर्यावरणीय मंजूरियों से छूट**: 2006 की अधिसूचना के अनुसार, परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों (मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार या आधुनिकीकरण तथा मौजूदा मैन्यूफैक्चरिंग

इकाई में उत्पाद मिश्रण में कोई परिवर्तन सहित) को संबंधित अथॉरिटी (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की पर्यावरण प्रभाव आकलन अथॉरिटी) से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी लेनी होती है।

संशोधन कुछ मौजूदा मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों को पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी से छूट देते हैं जो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं। छूट दी जा सकती है, अगर (i) उत्पादन क्षमता में वृद्धि से प्रदूषण और अधिक नहीं बढ़ता, और (ii) संबंधित मैन्यूफैक्चरिंग इकाई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एमिशन क्वालिटी के कम से कम 95% अप टाइम के साथ ऑनलाइन सतत निगरानी प्रणाली लागू करती है।[82] छूट प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रस्तावक को वह सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें निर्दिष्ट हो कि प्रदूषण में कोई वृद्धि नहीं होगी।

- **जन सुनवाई से छूट**: जन सुनवाई पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में सार्वजनिक परामर्श चरण के घटकों में से एक है। यह परामर्श इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि परियोजना को डिजाइन करते समय स्थानीय रूप से प्रभावित व्यक्तियों और अन्य हितधारकों की चिंताओं पर विचार किया जा सके और उन्हें दूर किया जा सके।[84]

  संशोधनों में एक्सपायर हो चुकी मंजूरियों वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं को जन सुनवाई से छूट दी गई है, अगर: (i) मंजूरी को रीन्यू करने का आवेदन दिया जा चुका है, और (ii) परियोजना का कम से कम 50% निर्माण पूरा हो चुका है।[83]

ड्राफ्ट प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 पर टिप्पणियां आमंत्रित

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ड्राफ्ट प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[85] ये नियम प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 में संशोधन करते हैं।[86] 2016 के नियम प्लास्टिक कचरे में कटौती पर जोर देते हैं। मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:[85]

- **प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध**: ड्राफ्ट संशोधन 1 जनवरी, 2022 से देश भर में प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करते हैं। इनमें निम्नलिखित वस्तुएं शामिल हैं: (i) प्लास्टिक की डंडी वाले ईयर बड्स, (ii) गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, (iii) प्लास्टिक के झंडे, (iv) कैंडी की डंडियां, और (v) आइसक्रीम की डंडियां।

  इसके अतिरिक्त ड्राफ्ट नियम 1 जनवरी, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल को भी प्रतिबंधित करने का प्रयास करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब है, ऐसा प्लास्टिक जोकि रीसाइकिल या निस्तारित होने से पहले सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो। इन वस्तुओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) प्लेट, (ii) कप, (iii) कटलरी (जैसे चम्मच), (iv) रैपिंग और पैकेजिंग फिल्म्स, और (v) 100 माइक्रॉन्स से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनर्स। यह प्रतिबंध कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।

- **कैरी बैग की मोटाई**: वर्तमान में 2016 के नियमों में निर्दिष्ट किया गया है कि वर्जिन प्लास्टिक्स (अनप्रोसेस्ड पेट्रोकैमिकल रेसिन्स से बने प्लास्टिक) या रीसाइकिल्स प्लास्टिक्स से बने प्लास्टिक कैरी बैग्स की मोटाई कम से कम 50 माइक्रॉन होनी चाहिए। ड्राफ्ट नियम में कहा गया है कि इनकी मोटाई कम से कम 120 माइक्रॉन होनी चाहिए।

संशोधनों में कहा गया है कि नॉन वुवेन प्लास्टिक कैरी बैग की शीट्स की मोटाई कम से कम 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) या 240 माइक्रॉन होनी चाहिए।

संचार

Saket Surya (saket@prsindia.org)

टेलीकॉम उपकरणों की खरीद पर शर्तें

दूरसंचार विभाग ने विभिन्न टेलीकॉम लाइसेंस में टेलीकॉम उपकरणों की खरीद पर कुछ शर्तें लगाई हैं। इन लाइसेंस में यूनिफाइड लाइसेंस, यूनिफाइड लाइसेंस वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर लाइसेंस और राष्ट्रीय लॉन्ग डिस्टेंस लाइसेंस शामिल हैं।[87] इन टेलीकॉम लाइसेंस के अंतर्गत शर्तों और नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।[88,89] जनहित, राज्य की सुरक्षा या दूरसंचार के उचित संचालन के आधार पर परिवर्तन किए जा सकते हैं।[88,89]

इन शर्तों के अनुसार, राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर (एनसीएससी) को भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर टेलीकॉम उपकरण की खरीद पर शर्तें लागू करने का अधिकार होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अंतर्गत एनसीएससी साइबर सुरक्षा के मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा।[90] एनसीएससी निम्नलिखित कार्य करेगा: (i) संबंधित टेलीकॉम उपकरण (विश्वसनीय उत्पादों) के साथ विश्वसनीय स्रोतों को अधिसूचित करना, (ii) उन उपकरणों की श्रेणियों को अधिसूचित करना जिनके लिए विश्वसनीय स्रोतों से संबंधित सुरक्षा आवश्यकता लागू होंगी, और (iii) उन स्रोतों को अधिसूचित करना जिनसे खरीद नहीं की जा सकती।

15 जून, 2021 से लाइसेंस धारकों को अपने नेटवर्क से सिर्फ विश्वसनीय उत्पादों को कनेक्ट करने की अनुमति होगी।[87] टेलीकॉम उपकरणों का उपयोग करने वाले मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन के लिए लाइसेंस धारकों को एनसीएससी से अनुमति लेनी होगी जिसे विश्वसनीय उत्पादों के रूप में नामित नहीं किया गया है। ये शर्तें चालू वार्षिक अनुरक्षण अनुबंधों या पहले से शामिल उपकरणों के अपडेट्स को प्रभावित नहीं करेंगी।[87]

ट्राई ने लो बिट-रेट एप्लिकेशन की सेटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क पर विचार मांगे

भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) ने लो बिट-रेट एप्लिकेशंस की सेटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क पर परामर्श पत्र जारी किया है।[91] सेटेलाइट संचार से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी संभव होती है, जहां स्थलीय कनेक्टिविटी लागत या क्षेत्रीय अड़चनों के कारण सुलभ नहीं है। ट्राई ने कहा कि लो बिट-रेट कम्यूनिकेशन (यानी प्रति यूनिट कम डेटा ट्रांसफर) वाले नए प्रकार के एप्लिकेशन उभर रहे हैं। ऐसे एप्लिकेशंस के लिए कम लागत, कम बिजली और छोटे आकार के टर्मिनलों की आवश्यकता होती है और न्यूनतम हानि के साथ सिग्नल ट्रांसफर का काम प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

ट्राई ने गौर किया कि सेटेलाइट संचार लो- बिट इंटरनेट रेट ऑफ़ थिंग्स (आईओटी) उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो कि चालू हैं और अक्सर स्थलीय नेटवर्क की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। आईओटी इंटरनेट से जुड़ी वस्तुओं की एक प्रणाली को कहते हैं जो मानव हस्तक्षेप के बिना एक वायरलेस नेटवर्क पर कम्यूनिकेट कर सकता है। यह देखा गया कि सेटेलाइट कनेक्टिविटी के माध्यम से आईओटी आधारित एप्लिकेशंस परिचालन दक्षता बढ़ाने, लागत कम करने और साथ ही सुरक्षित सामान, कर्मियों और परिसंपत्तियों को नए अवसर प्रदान करते हैं। परिवहन, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में ऐसे एप्लिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है।

दूरसंचार विभाग ने ट्राई को एक संदर्भ दिया है और उससे लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क पर सुझाव मांगे हैं ताकि सेटेलाइट आधारित लो बिट-रेट एप्लिकेशंस का प्रावधान किया जा सके। विभाग ने कहा कि विभिन्न तकनीकी कारणों से सेटेलाइट आधारित लो बिट-रेट एप्लिकेशंस मौजूदा लाइसेंस फ्रेमवर्क में उपयुक्त नहीं बैठतीं।

ट्राई ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार मांगे हैं: (i) आईओटी और लो बिट-रेट एप्लिकेशंस के लिए

सेटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के मॉडल्स, (ii) ऐसे संचार के लिए सेटेलाइट्स के प्रकार, (iii) ऐसे संचार के लिए फ्रीक्वेंसी बैंड्स, (iv) कोई नए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क की जरूरत है या मौजूदा लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क को ही उसके अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए, (v) कैप्टिव यूसेज के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क, (vi) क्या लाइसेंस धारक को विदेशी सेटेलाइट्स से बैंडविर्थ हासिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए, और (vii) भारत में सेटेलाइट आधारित सेवाओं की वहनीयता में सुधार के उपाय।

टिप्पणियां 9 अप्रैल, 2021 तक आमंत्रित हैं।

विज्ञान एवं तकनीक

Saket Surya (saket@prsindia.org)

राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी विकास रणनीति जारी

बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी विकास रणनीति 2021-25 को जारी किया।[92] इस रणनीति का उद्देश्य बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान, नवाचार और उद्योग में भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। रणनीति दस्तावेज में कहा गया है कि भारत में बायोटेक्नोलॉजी उद्योग की वृद्धि मुख्य रूप से वैक्सीन और जेनेटिक इंजीनियरिंग (किसी जीव के जेनेटिक मेकअप में बदलाव) का इस्तेमाल करके दवाएं बनाने पर केंद्रित है। 2019 में भारत में बायोटेक्नोलॉजी उद्योग का आकार 63 बिलियन USD अनुमानित है। रणनीति का उद्देश्य इसे 2025 तक 150 बिलियन USD करना है।

रणनीति में निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है: (i) अनुसंधान शैक्षिक साझेदारी, (ii) उच्च जोखिम वाले विज्ञान के लिए वेंचर कैपिटल, (iii) उद्योग द्वारा अनुंधान और विकास पर व्यय, (iv) अनुसंधान और कमर्शियलाइजेशन के बीच संबंध, और (v) अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप गुणवत्ता आश्वासन। यह निम्नलिखित कदमों को प्रस्तावित करती है:

- निम्नलिखित की स्थापना करना: (i) रणनीतिक रूप से स्थित 10 टेक्नोलॉजी क्लस्टर, (ii) विशेष आर्थिक जोन्स के निकट 5 बायो-मैन्यूफैक्चरिंग जोन्स, (iii) 100 बायो-इनक्यूबेटर्स, (iv) 100 ग्रामीण बायो-सोर्स टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स, (v) आईआईटीज़, एनआईटीज़ और आईआईआईटीज़ आदि में बायो डिजाइन सेंटर, (vi) प्रारंभिक चरण के निवेश को कैटेलाइज करने के लिए बायोटेक एंजेल नेटवर्क्स, (vii) कृषि और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय इनक्यूबेटर्स, (viii) राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के साथ नए बायोटेक पार्क, और (ix) राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे जलवायु परिवर्तन, जलवायु प्रतिरोधी फसलें और पोषण पर एक केंद्रित बायोटेक्नोलॉजी मिशन,
- आयात प्रतिस्थापन और मुख्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि को सुनिश्चित करना,
- जीन एडिटिंग, बायोलॉजिकल डेटा की शेयरिंग पर नीतियां स्पष्ट करने जैसी उभरती हुई तकनीकों के लिए रेगुलेटरी दिशानिर्देश बनाना,
- महामारी के लिए राष्ट्रीय बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी नेटवर्क बनाना,
- बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दक्षता विकास को बढ़ावा देना और रोजगारपरकता बढ़ाना।

रसायन और उर्वरक

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

पेट्रोरसायनों की मांग और आपूर्ति पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी

रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: कनिमोझी करुणानिधि) ने 'पेट्रोरसायनों की मांग और उपलब्धता' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[93] पेट्रोरसायन हाइड्रोकार्बन्स से मिलने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स खुद

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है। पेट्रोरसायन उद्योग में मुख्य रूप से सिंथेटिक फाइबर/यार्न, पॉलिमर्स, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक डिटर्जेंट इंटरमीडियएट्स, परफॉर्मेंस प्लास्टिक्स, और प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग शामिल है। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पेट्रोरसायन के लिए विशिष्ट कार्य योजना**: कमिटी ने कहा कि 2025 के लिए मांग और आपूर्ति का पूर्वानुमान कुछ पेट्रोकेमिकल्स जैसे पॉलीप्रोपाइलीन और शुद्ध टेरेफेथिक एसिड के संबंध में लगभग संतुलित है। हालांकि, 2025 के लिए कई अन्य पेट्रोकेमिकल्स के पूर्वानुमान कम भी हैं। स्टाइरीन और पॉली कार्बोनेट सहित कुछ अन्य पेट्रोकेमिकल पूरी तरह से आयात किए जा रहे हैं क्योंकि उनकी घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता नहीं है। कमिटी ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पेट्रोकेमिकल की मांग और उपलब्धता का अलग-अलग अध्ययन किया जाना चाहिए और उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए ताकि उनकी मांग को घरेलू स्तर पर पूरा किया जा सके। जहां भी आवश्यक हो, घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई जानी चाहिए और देश में उत्पादित पेट्रोकेमिकल्स के आयात को हतोत्साहित करना चाहिए। उसने यह सुझाव भी दिया कि डीसीपीसी को पूर्ण या पर्याप्त रूप से आयात किए जा रहे पेट्रोकेमिकल्स के निर्माण के लिए प्लांट्स की स्थापना की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

पेट्रोलियन और प्राकृतिक गैस

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

स्टैंडिंग कमिटी ने बायो-ईंधन के उत्पादन से संबंधित रिपोर्ट सौंपी

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: रमेश विधूड़ी) ने बायो-ईंधन के उत्पादन पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[94] बायो-ईंधन फॉसिल फ्यूल के आर्थिक विकल्प के तौर पर बनाया जाता है और उसकी प्रकृति पर्यावरण अनुकूल होती है। इसके उदाहरणों में बायो-इथेनॉल, बायो-डीजल, कंप्रेस्ड बायो गैस, बायो जेट ईंधन और दूसरे उन्नत बायो ईंधन हैं। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **राष्ट्रीय नीति**: कमिटी ने कहा कि भारत अपना 80% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। 2018 की राष्ट्रीय बायो ईंधन नीति को बिजली और परिवहन क्षेत्रों में बायो ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था। इसका लक्ष्य फॉसिल फ्यूल का स्थान लेना और ऊर्जा सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन के शमन में योगदान देना है। नीति के अंतर्गत सरकार बायोमास और एग्री रेसेड्यू तथा उत्पादों को बायो ईंधन बनाने के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करेगी। इसका उद्देश्य किसानों को अच्छी कमाई प्रदान करना और कचरा प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों को हल करना है। इन अनेक लक्ष्यों पर विचार करते हुए कमिटी ने सुझाव दिया कि नीति की आवर्ती समीक्षा होनी चाहिए ताकि समय-समय पर उत्पन्न समस्याओं को दूर किया जा सके और शब्दशः उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित हो।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

ग्रामीण विकास

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

मनरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिए राज्यवार मजदूरी की दरों में संशोधन

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय

ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, 2005 के अंतर्गत अकुशल मैनुअल श्रमिक के लिए राज्यवार मजदूरी दर में संशोधन किया गया है।[95] यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगी। इससे पहले मार्च 2020 में मजदूरी दरों में संशोधन किया गया था।[96] मजदूरी दरों में सबसे अधिक बढ़ोतरी मेघालय में देखी गई है। वहां मजदूरी दर में 23 रुपए की वृद्धि हुई है, और यह 2020 में 203 रुपए प्रति दिन से बढ़कर 2021 में 226 रुपए प्रति दिन हो गई है। मजदूरी की दर केरल में नहीं बढ़ाई गई है और यह 2020 से 2021 में 291 रुपए प्रति दिन पर बरकरार है।[95]

[1] Bulletin II, Lok Sabha, February 25, 2021, http://loksabhadocs.nic.in/bull2mk/2021/25032021.pdf.

[2] Bulletin II, Lok Sabha, January 29, 2021, http://loksabhadocs.nic.in/bull2mk/2021/29012021.pdf.

[3] Union Budget 2021-22, February 1, 2021, https://www.indiabudget.gov.in/.

[4] Second Supplementary Demands for Grants for 2020-21, Ministry of Finance, February 2021, https://dea.gov.in/sites/default/files/PDF%20-%20SUPPLEMENTARY.pdf.

[5] The Finance Bill, 2021, as passed by Lok Sabha, Ministry of Finance, March 24, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/PassedLoksabha/15-C_2021_LS_Eng.pdf.

[6] Second Supplementary Demands for Grants for 2020-21, Ministry of Finance, February 2021, https://dea.gov.in/sites/default/files/PDF%20-%20SUPPLEMENTARY.pdf.

[7] First Supplementary Demands for Grants for 2020-21, Ministry of Finance, September 2020, https://dea.gov.in/sites/default/files/1st%20Batch%20of%20Syupl%20Demand%202020-2021_1.pdf.

[8] Demand no. 15, Department of Food and Public Distribution, Expenditure Budget 2021-22, February 1, 2021, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe15.pdf.

[9] Demands for Grants 2021-22 Analysis, Department of Food and Public Distribution, February 18, 2021, https://prsindia.org/files/budget/budget_parliament/2021/DFG%20Analysis%20-%20Food%20and%20PDS%20(2021-22).pdf.

[10] Report no. 20, Standing Committee on Chemicals and Fertilisers: 'Demands for Grants (2021-22)', Lok Sabha, March 17, 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Chemicals%20&%20Fertilizers/17_Chemicals_And_Fertilizers_20.pdf.

[11] Ministry of Health and Family Welfare website, last accessed on March 31, 2020, https://www.mohfw.gov.in/index.html.

[12] Order No 40-3/2020-DM I (A), Ministry of Home Affairs, March 23, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_23032021.pdf.

[13] D.O. No. 40-34/2020-DM-I (A), Ministry of Home Affairs, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/DOtoCSandAdministrators_19032021.pdf.

[14] Order No. 40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, January 29, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAorderdt_27012021.pdf.

[15] "Day 45- next Phase of COVID19 Vaccination commences", Ministry of Helath and Family Welfare, Press Information Bureau, March 1, 2021.

[16] "Covid Vaccination Beneficiaries", Ministry of Helath and Family Welfare, Press Information Bureau, March 19, 2021.

[17] Twitter, Ministry of Helath and Family Welfare, March 24, 2021, last accessed on March 31, 2021, https://twitter.com/MoHFW_INDIA/status/1374639742499708930.

[18] "Developments in India's Balance of Payments during the third Quarter (October-December) of 2020-21", Reserve Bank of India, March 31, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR13304B6C0EE1AB034968B54016275024CC60.PDF.

[19] "Developments in India's Balance of Payments during the fourth Quarter (January-March) of 2019-20", Reserve Bank of India, June 30, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR256878A4C6211C9A47D6A9B09BC8100C57D1.PDF.

[20] S.O. 1050 (E), Ministry of Home Affairs, March 4, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225647.pdf

[21] The Citizenship Act, 1955, Ministry of Home Affairs, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4210/1/Citizenship_Act_1955.pdf.

[22] S.O. 542 (E), Ministry of Home Affairs, April 11, 2005, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2005/E_373_2012_019.pdf.

[23] S.O. 36 (E), Ministry of Overseas Indian Affairs, January 5, 2009, https://www.mea.gov.in/images/pdf/2oci-notifi2009.pdf.

[24] S.O. 12 (E), Ministry of Home Affairs, January 5, 2007, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2007/E_7_2010_049.pdf.

[25] "Atrocities and Crimes Against Women", Standing Committee on Home Affairs, March 15, 2021, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/15/143/230_2021_3_12.pdf

[26] The Insurance (Amendment) Bill, 2021, as passed by Rajya Sabha, Ministry of Finance, March 18, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/RSBillTexts/PassedRajyaSabha/THE%20INSURANCE%20(AMENDMENT)%20BILL%20as%20passed%20by%20RS%20190.pdf.

[27] National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021, March 25, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/76_2021_LS_Eng.pdf.

[28] Small Scale Industrial Manufacturers Association (Regd.) vs Union of India, W.P. (C) No. 476 of 2020, Supreme Court of India, March 23, 2021, https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/11162/11162_2020_35_1501_27212_Judgement_23-Mar-2021.pdf.

[29] "COVID-19 – Regulatory Package", Notifications, Reserve Bank of India, March 27, 2020, https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11835.

[30] "COVID-19 – Regulatory Package", Notifications, Reserve Bank of India, May 23, 2020,

https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11902&Mode=0.

[31] F.No. 2/12/2020-BOA.I, Department of Financial Services, Ministry of Finance, October 23, 2020, https://financialservices.gov.in/sites/default/files/Scheme%20Letter.pdf.

[32] Order dated October 5, 2020, Gajendra Sharma vs Union of India and Anr., W.P. (C) No. 825 of 2020, Supreme Court of India, October 5, 2020, https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/11127/11127_2020_34_1_24234_Order_05-Oct-2020.pdf.

[33] G.S.R. 147 (E), The Gazette of India, Ministry of Finance, March 2, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225587.pdf.

[34] G.S.R. 413 (E), The Gazette of India, Ministry of Finance, April 25, 2017, https://financialservices.gov.in/sites/default/files/Ins.%20Ombudsman%20Rules%2C%202017.pdf.

[35] Draft New Development Bank Bill, 2021 and Asian Infrastructure Investment Bank Bill, 2021, Ministry of Finance, March 4, 2021, https://dea.gov.in/sites/default/files/PublicConsultation_Draft_NDB_Bill_AIIB_Bill022021_1.pdf.

[36] Report no. 9, Estimates Committee: 'Recent Budgetary Reforms for Better Management of Government Expenditure', Lok Sabha, March 19, 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Estimates/17_Estimates_9.pdf.

[37] The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021, Ministry of Mines, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/65_2021_LS_Eng.pdf.

[38] "Coal Conservation and Development of Infrastructure for Transportation of Coal Across the Country", Standing Committee on Coal and Steel, March 16,2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Coal%20&%20Steel/17_Coal_And_Steel_19.pdf.

[39] "Development of Leased out Iron Ore Mines and Optimum Capacity Utilisation", Standing Committee on Coal and Steel, March 16, 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Coal%20&%20Steel/17_Coal_And_Steel_20.pdf.

[40] G.S.R 195 (E), The Gazette of India, Ministry of Mines, March 17, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225956.pdf.

[41] The Mineral (Auction) Rules, 2015, https://www.mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/Mineral%20(Auction)%20Rules,%202015.pdf.

[42] G.S.R. 209 (E), The Gazette of India, Ministry of Mines, March 24, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226080.pdf.

[43] The Minerals (Other than Atomic and Hydro-Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016,https://ibm.gov.in/writereaddata/files/10202016094948MCR_2016_18092016%20from%20SKS.pdf.

[44] Draft of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Amendment) Rules, 2021 (Insertion of Section 23A), Ministry of Mines, January 2021, https://mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/NOTICE21012021.pdf

[45] The Medical Termination of Pregnancy Bill, 2020, Ministry of Health and Family Welfare, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/55_2020_LS_Eng.pdf.

[46] The National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2020, Ministry of Health and Family Welfare, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/National%20Commission%20for%20Allied%20and%20Healthcare%20Professions%20Bill,%202020.pdf.

[47] The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021, March 15, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/54_2021_LS_Eng.pdf.

[48] The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2020, Standing Committee on Health and Family Welfare, March 19, 2021, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/14/142/129_2021_3_16.pdf.

[49] Report No. 17, Review of Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP), Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, March 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Chemicals%20&%20Fertilizers/17_Chemicals_And_Fertilizers_17.pdf.

[50] S.O. 1220 (E), Ministry of Health and Family Welfare, March 15, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225933.pdf.

[51] Preparedness for the Implementation of Sustainable Development Goals, Public Accounts Committee, March 15, 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Public%20Accounts/17_Public_Accounts_32.pdf.

[52] The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021, https://prsindia.org/files/bill_track/2021-03-15/The%20Juvenile%20Justice%20(Care%20And%20Protection%20Of%20Children)%20Amendment%20Bill,%202021.pdf.

[53] The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, http://cara.nic.in/PDF/JJ%20act%202015.pdf.

[54] The Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2021, as introduced in Lok Sabha on March 24, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/77_2021_LS_Eng.pdf.

[55] G.S.R. 174 (E), Ministry of Civil Aviation, March 12, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225860.pdf.

[56] The Marine Aids To Navigation Bill, 2021, https://prsindia.org/files/bill_track/2021-03-15/The%20Marine%20Aids%20To%20Navigation%20Bill,%202021.pdf.

[57] The National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill, 2019, Ministry of Food Processing, http://164.100.47.4/billstexts/rsbilltexts/AsIntroduced/Food%20tech-RS%20int-E-13%202%2019.pdf.

[58] "Cabinet approves Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry", Press Information Bureau, Cabinet, March 31, 2021.

[59] Strengthening of Public Distribution System- Augmenting use of technological Means and Implementation of One Nation One Ration Card Scheme, Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution, March 19, 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Food,%20Consumer%20Affairs%20&%20Public%20Distribution/17_Food_Consumer_Affairs_And_Public_Distribution_12.pdf.

[60] The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021, Ministry of Social Justice, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/18_2021_LS_Eng.pdf.

[61] S.O. 1256 (E), Ministry of Corporate Affairs, March 18, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225997.pdf.

[62] G.S.R. 143(E), Ministry of Labour and Employment, March 1, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225569.pdf.

[63] Implementation of Prime Minister's Employment Generation Programme, Public Accounts Committee, March 15, 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Public%20Accounts/17_Public_Accounts_31.pdf.

[64] "Road Transport & Highways Minister, Shri Nitin Gadkari Announces Vehicle Scrapping Policy", Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, March 18, 2021.

[65] G.S.R. 190 (E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, March 15, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225972.pdf.

[66] G.S.R. 173 (E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, March 11, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225876.pdf.

[67] G.S.R 156 (E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, March 8, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225707.pdf.

[68] G.S.R. 148(E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, March 2, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225641.pdf.

[69] Central Motor Vehicles Rules, 1988, Ministry of Road Transport and Highways, https://morth.nic.in/sites/default/files/CMVR-chapter5_1.pdf.

[70] Bureau of Indian Standards Act, 2016, Ministry of Law and Justice, https://bis.gov.in/wp-content/uploads/2020/12/BIS-Act-2016.pdf.

[71] Safety and Procedural Requirements for Type Approval of CNG Operated Vehicles (Dedicated, Bi-Fuel & Dual Fuel) (Version 4), Ministry of Road Transport and Highways, 2015, https://hmr.araiindia.com/Control/AIS/825201593205AM4_AIS-024_and_AIS-028_CNG-Ver4_F.pdf.

[72] G.S.R. 172 (E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, March 11, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225864.pdf.

[73] G.S.R. 144 (E), Gazette of India, Ministry of Road and Transport Highways, March 2, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225593.pdf.

[74] G.S.R. 177 (E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, March 12, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225856.pdf.

[75] G.S.R.191 (E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, March 15, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225944.pdf.

[76] G.S.R. 220 (E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226224.pdf.

[77] Passenger amenities including modernisation of Railway Stations, Standing Committee on Railways, March 8, 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Railways/17_Railways_6.pdf.

[78] Report no. 17 – Action Plan for Achievement of 175 Gigawatt (GW) Renewable Energy Target, Standing Committee on Energy, March 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Energy/17_Energy_17.pdf.

[79] Office Memorandum No. 32/18/2020-SPV Division, Ministry of New and Renewable Energy, March 8, 2021, https://mnre.gov.in/img/documents/uploads/file_f-1615276189186.pdf.

[80] Office Memorandum No. 283/3/2018-Grid Solar, Ministry of New and Renwable Energy, March 9, 2021, https://mnre.gov.in/img/documents/uploads/file_f-1615355045648.PDF.

[81] Circular No. 23/23/2020-R&R [254623], Ministry of Power, March 22, 2021, https://powermin.gov.in/sites/default/files/webform/notices/Enabling_the_Discoms_to_either_continue_or_exit_from_the_PPA.pdf.

[82] S.O. 980 (E), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, March 2, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225597.pdf.

[83] S.O. 1247 (E), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, March 18, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225979.pdf.

[84] S.O. 1533 (E): Environment Impact Assessment Notification, 2006, September 14, 2006, Ministry of Environment and Forests, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2006/E_1067_2011_003.pdf.

[85] G.S.R. 169 (E), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, March 11, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225824.pdf.

[86] G.S.R. 320 (E), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, March 18, 2016, https://cpcb.nic.in/displaypdf.php?id=cGxhc3RpY3dhc3RlL1BXTV9HYXpldHRlLnBkZg==.

[87] "Amendment to Unified License agreement for procurement of Telecommunication equipment-reg.", File No 20-271/2010 AS-I (Vol-III), Department of Telecommunications, March 10, 2021, https://dot.gov.in/sites/default/files/2021_03_10%20UL%20AS-I.pdf;

"Amendment to UL-VNO agreement for procurement of Telecommunication equipment-reg.", File No 20-271/2010 AS-I (Vol-III), Department of Telecommunications, March 10, 2021, https://dot.gov.in/sites/default/files/2021_03_10%20UL%28VNO%29%20AS-I.pdf;

Amendment to Unified Access Services License Agreement (UASL) for procurement of Telecommunication equipment-reg.", File No 20-271/2010 AS-I (Vol-III), Department of Telecommunications, March 10, 2021, https://dot.gov.in/sites/default/files/Procurement%20of%20Telecom%20equipment%20dt%2010032021%20UASL.pdf?download=1;

"Amendment in PMRTS licences, other than UL for procurement of Telecommunication equipment dated 15.03.2021", No. 311-Misc/2017-CS-I, Department of Telecommunications, March 15, 2021, https://dot.gov.in/sites/default/files/2021%2003%2015%20PMRTS%20CS-I.pdf?download=1;

"Amendment in ILD License, Other than UL for procurement of Telecommunication equipment", No 10-54/2010-CS-III (Vol.II)/70, Department of Telecommunications, March 15, 2021, https://dot.gov.in/sites/default/files/2021%2003%2015%20ILD%20CS-III.pdf?download=1;

"Amendment in NLD License, Other than UL for procurement of Telecommunication equipment", No 10-

54/2010-CS-III (Vol.II)/71, Department of Telecommunications, March 15, 2021, https://dot.gov.in/sites/default/files/2021%2003%2015%20ILD%20CS-III.pdf?download=1;

"Amendment relating to procurement of Telecommunication equipment in Internet Service Provider-ISP Licenses granted as per 2002 guidelines", File No 820-01/2006-LR(Vol-II) (Pt-3), Department of Telecommunications, March 12, 2021, https://dot.gov.in/sites/default/files/2021%2003%2012%20ISP02%20DS.pdf?download=1;

"Amendment relating to procurement of Telecommunication equipment in Internet Service Provider-ISP Licenses granted as per 24.08.2007 guidelines", File No 820-01/2006-LR(Vol-II) (Pt-3), Department of Telecommunications, March 12, 2021, https://dot.gov.in/sites/default/files/2021%2003%2012%20ISP07%20DS.pdf?download=1.

[88] Clause 5.1, License Agreement for Unified License, Department of Telecommunications, https://dot.gov.in/sites/default/files/Unified%20Licence_0.pdf;

[89] Clause 4.1, License Agreement for Provision of Commercial Public Mobile Radio Trunking Service (PMRTS), Department of Telecommunications, https://dot.gov.in/sites/default/files/LICENSE%20AGREEMENT%20For%20PROVISION%20OF%20commercialPUBLIC%20MOBILE%20RADIO%20TRUNKING%20SERVICE_0.pdf?download=1.

[90] "Cyber Security", Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, December 18, 2018.

[91] "Consultation Paper on Licensing Framework for Satellite-based connectivity for low bit rate applications", Telecom Regulatory Authority of India, March 12, 2021, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_12032021_0.pdf.

[92] National Biotechnology Development Strategy 2021-25, http://dbtindia.gov.in/sites/default/files/NBDS_10.03%20Final.pdf.

[93] Report no. 16, Standing Committee on Chemicals and Fertilizers: 'Demand and Availability of Petrochemicals including Imports and Exports', Lok Sabha, March 17, 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Chemicals%20&%20Fertilizers/17_Chemicals_And_Fertilizers_16.pdf.

[94] Report no. 6, Standing Committee on Petroleum and Natural Gas: 'Review of Progress in Production of Non-Conventional Fuels with specific reference to Bio-Fuels', Lok Sabha, March 10, 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Petroleum%20&%20Natural%20Gas/17_Petroleum_And_Natural_Gas_6.pdf.

[95] S.O. 1206(E), Gazette of India, Ministry of Rural Development, March 15, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225908.pdf.

[96] S.O. 1203 (E), Gazette of India, Ministry of Rural Development, March 23, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/218892.pdf.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।